

## खंडों पर टिप्पण

विधेयक की पहली अनुसूची के साथ पठित खंड 2, उन दरों को विनिर्दिष्ट करने के लिए है, जिन पर आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन निर्धारण वर्ष 2026-2027 के लिए कर से प्रभार्य आय पर आय-कर उद्गृहीत किया जाना है।

विधेयक की पहली अनुसूची के साथ पठित खंड 3, उन दरों को विनिर्दिष्ट करने के लिए है, जिन पर आय-कर अधिनियम, 2025 के अधीन कर वर्ष 2026-2027 के लिए कर से प्रभार्य आय पर आय-कर उद्गृहीत किया जाना है। इसके अतिरिक्त, यह उन दरों को, जिन पर आय-कर अधिनियम, 2025 के अधीन वित्तीय वर्ष के दौरान स्रोत पर करों की कटौती की जानी है; और उन दरों को भी अधिकथित करता है, जिन पर "अग्रिम कर" का संदाय किया जाना है, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से स्रोत पर कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है या आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 393(1) [सारणी : क्रम सं. 8(iii)] के अधीन कटौती की जानी है और वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए विशेष दशाओं में कर की संगणना की जानी है, और उसे प्रभारित किया जाना है।

### क. आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन आय-कर

विधेयक का खंड 4 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 92गक का संशोधन करने के लिए है, जो अंतरण मूल्यांकन अधिकारी के निर्देश से संबंधित है।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि जहां निर्धारिती ने किसी पूर्ववर्ती वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार किया है और निर्धारण अधिकारी उक्त अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में धारा 92ग के अधीन असन्निकट कीमत की संगणना के लिए अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा।

उक्त धारा की उपधारा (3क) यह उपबंध करती है कि अंतरण मूल्यांकन अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है वह उस तारीख से साठ दिन से पूर्व ऐसा आदेश पारित करे, जिसको, यथास्थिति, निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना या नए सिरे से निर्धारण का आदेश करने के लिए, यथास्थिति, धारा 153 या धारा 153ख में विनिर्दिष्ट परिसीमा की अवधि समाप्त होती है।

इस संबंध में, उपधारा (3कक) का अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (3) के अधीन आदेश करने के प्रयोजन के लिए साठ दिन की उक्त अवधि की गणना निम्नलिखित रीति में की जाएगी और की गई समझी जाएगी, अर्थात् :-

(क) जहां परिसीमा की अवधि किसी वर्ष की तारीख 31 मार्च को समाप्त होती है (जो लीप वर्ष नहीं है), वहां उपधारा (3) के अधीन आदेश उस वर्ष की तारीख 30 जनवरी को या उससे पहले किया जाना है ;

(ख) जहां परिसीमा की अवधि किसी वर्ष की तारीख 31 मार्च को समाप्त होती है (जो लीप वर्ष है), वहां उपधारा (3) के अधीन आदेश उस वर्ष की तारीख 31 जनवरी तक किया जाना है ;

(ग) जहां परिसीमा की अवधि किसी वर्ष की तारीख 31 दिसंबर को समाप्त होती है, वहां उपधारा (3) के अधीन आदेश उस वर्ष की तारीख 1 नवंबर तक किया जाना है ;

यह संशोधन 1 जून, 2007 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 5 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 139 का संशोधन करने के लिए है, जो आय की विवरणी से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का स्पष्टीकरण 2, "देय तारीख" की परिभाषा का इस प्रकार उपबंध करता है कि उससे विभिन्न वर्गों के निर्धारिती या व्यक्ति द्वारा उसमें लागू विभिन्न शर्तों के साथ निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी फाइल करने के लिए अंतिम तारीख अभिप्रेत है ।

उक्त स्पष्टीकरण का प्रतिस्थापन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ख में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में "देय तारीख" उक्त सारणी के स्तंभ ग में यथा उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, उसके स्तंभ घ में यथा उल्लिखित निर्धारण की देय तारीख होगी :

#### सारणी

| क्र.सं. | व्यक्ति   | शर्तें                                      | देय तारीख    |
|---------|---|---|--------------|
| क       | ख   | ग   | घ            |
| 1.      | फर्म के भागीदारों या ऐसे भागीदार का पति या पत्नी सहित निर्धारिती (यदि ऐसे पति या पत्नी पर धारा 5क लागू होती है) ।   | जहां धारा 92ड के उपबंध लागू होते हैं ।      | 30 नवंबर ।   |
| 2.      | (i) कंपनी ;<br>(ii) निर्धारिती (कंपनी से भिन्न) जिसके लेखे इस अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षित किए जाने अपेक्षित हैं ;<br>(iii) किसी फर्म का भागीदार जिसके लेखे इस अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षित किए जाने अपेक्षित हैं या ऐसे भागीदार का पति या पत्नी (यदि ऐसे पति या पत्नी पर धारा 5क लागू होती है) । | जहां धारा 92ड के उपबंध लागू नहीं होते हैं । | 31 अक्टूबर । |
| 3.      | (i) निर्धारिती, जिसकी आय कारबार या वृत्ति के लाभों या अभिलाभों से है, जिसके लेखे इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षित किए जाने अपेक्षित नहीं हैं ;   | जहां धारा 92ड के उपबंध लागू नहीं होते हैं । | 31 अगस्त ।   |

(ii) किसी फर्म का भागीदार जिसके लेखे इस अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षित किए जाने अपेक्षित नहीं हैं या ऐसे भागीदार का पति या पत्नी (यदि ऐसे पति या पत्नी पर धारा 5क लागू होती है) ।

4. कोई अन्य निर्धारिती ।

31 जुलाई ।'

उक्त अधिनियम की उक्त धारा की उपधारा (5) आय की पुनरीक्षित विवरणी से संबंधित है । यह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने किसी पुनरीक्षित विवरणी फाइल करने के लिए उक्त धारा की उपधारा (1) और उपधारा (4) के अधीन कोई विवरणी पहले ही प्रस्तुत कर दी है, अनुज्ञात करती है, यदि मूल या विलंबित विवरणी में कोई लोप या गलत कथन पाया जाता है । ऐसी पुनरीक्षित विवरणी सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से तीन मास पूर्व या निर्धारण के समापन से पूर्व जो भी पहले हो, किसी भी समय प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

यह उपबंध करने के लिए कि कोई व्यक्ति, जिसने उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन कोई विवरणी प्रस्तुत की है, उसमें कोई लोप या कोई त्रुटिपूर्ण विवरण पाता है तो वह धारा 234झ के उपबंधों के अधीन रहते हुए सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पूर्व या निर्धारण के पूर्ण होने से पूर्व, जो भी पूर्वतर हो, किसी भी समय एक पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा ।

उक्त धारा की उपधारा (8क) आय की अद्यतन विवरणी से संबंधित है । यह किसी करदाता को, चाहे उसने पूर्व में कोई विवरणी फाइल की है या नहीं, सुसंगत कर वर्ष के उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति से अड़तालीस मास के भीतर कोई अद्यतन विवरणी फाइल करने को अनुज्ञात करती है । यह उपबंध करदाता की ओर से कराधान के लिए आय को प्रस्तुत करने के लिए स्वैच्छिक अनुपालन का संवर्द्धन करने के लिए है ।

विशिष्ट परिस्थितियों में हानि को कम करने के लिए अद्यतन विवरणी फाइल करने का उपबंध करने का प्रस्ताव है जिससे किसी व्यक्ति द्वारा धारा 148 के अधीन सूचना के अनुसरण में सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए किसी व्यक्ति द्वारा उक्त सूचना में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर कोई अद्यतन विवरणी प्रस्तुत की जा सकेगी और ऐसी दशा में निर्धारिती किसी अन्य रीति में उक्त सूचना के अनुसरण में विवरणी फाइल करने से प्रवारित किया जाएगा ।

ये संशोधन 1 मार्च, 2026 से भूतलक्षी रूप से लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 6 आय-कर अधिनियम की धारा 140ख का संशोधन करने के लिए है, जो अद्यतन विवरणी पर कर से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष में अद्यतन विवरणी फाइल करने के लिए संदेय मूल कर और ब्याज के साथ संदेय कर और ब्याज के योग के क्रमशः 25%, 50%, 60% और 70% के बराबर अतिरिक्त आय-कर का संदाय किया जाएगा ।

उक्त धारा में उपधारा (3क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 148 के अधीन जारी किसी सूचना के अनुसरण में, उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई अद्यतन विवरणी फाइल की जाती है, वहां संदेय अतिरिक्त आय-कर की रकम में संदेय कर और ब्याज के योग के 10% के बराबर रकम की और वृद्धि की जाएगी ।

यह संशोधन 1 मार्च, 2026 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 7 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 144ग का संशोधन करने के लिए है, जो विवाद समाधान पैनल के निर्देश के उपबंधों से संबंधित है ।

अधिनियम की धारा 144ग, अन्य बातों के साथ-साथ, कतिपय पात्र निर्धारिती के संबंध में विवाद समाधान पैनल के किसी निर्देश को बनाने के लिए प्रक्रिया और स्कीम का उपबंध करती है । उक्त अधिनियम की धारा 153 निर्धारण, पुनःनिर्धारण और पुनःसंगणना संबंधी कार्यवाहियों को पूर्ण करने के लिए समय-सीमा का उपबंध करती है तथा ऐसी कार्यवाहियों का समापन करने के लिए वाह्य समय-सीमा स्थापित करती है ।

उक्त अधिनियम की धारा 144ग के अधीन यथा उपबंधित विवाद समाधान पैनल क्रियाविधि किसी विशिष्ट प्रक्रिया के लिए उपबंध करती है, जो निम्नानुसार है :-

(i) विवाद समाधान पैनल के पूर्व आक्षेपों का फाइल किया जाना- प्रारूप निर्धारण आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर ;

(ii) विवाद समाधान पैनल द्वारा निदेशों का जारी किया जाना- उस मास की समाप्ति से नौ मास के भीतर, जिसमें प्रारूप निर्धारण आदेश पात्र निर्धारिती को भेजा गया है ; और

(iii) अंतिम निर्धारण आदेश का पारित किया जाना- उक्त अधिनियम की धारा 153 या धारा 153ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस मास की समाप्ति से एक मास के भीतर, जिसमें विवाद समाधान पैनल के ऐसे निदेश प्राप्त हुए हैं, जो उपधारा (13) के अधीन यथा आज्ञापित है ।

ऐसे मामलों में, जहां निर्धारिती प्रारूप निर्धारण, आदेश को स्वीकार करता है और विवाद समाधान पैनल के समक्ष कोई आक्षेप फाइल नहीं करता है वहां निर्धारण अधिकारी के लिए, यथास्थिति, उक्त अधिनियम की धारा 153 या धारा 153ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस मास की समाप्ति से एक मास के भीतर, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (4) के निबंधनानुसार, आक्षेप फाइल करने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होती है, अंतिम निर्धारण आदेश पारित करना अपेक्षित है ।

उक्त अधिनियम की धारा 144ग का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध समय-सीमाओं को स्पष्ट किया जा सके । यह स्पष्ट किया जाता है कि उपधारा (3) के अधीन निर्धारण आदेश पारित करने हेतु निर्धारण अधिकारी के लिए इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि निर्धारण का कोई आदेश पारित करने के लिए उसे धारा 153ख में विनिर्दिष्ट अवधि के अतिरिक्त होगी और सदैव हुई समझी जाएगी ।

इसके अतिरिक्त उपधारा (13) के प्रयोजनों के लिए यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जहां उपधारा (1) के अधीन निर्धारण के प्रस्तावित आदेश का एक प्ररूप, उपधारा (5) के अधीन

जारी किए गए निदेश की प्राप्ति पर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु उपधारा (13) के अधीन निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध समयावधि धारा 153/153ख के अधीन अग्रेषित किया जाता है, उपधारा (12) और उपधारा (13) के उपबंधों द्वारा शासित किया जाएगा और सदैव शासित किया हुआ समझा जाएगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 144ग में उपधारा (4क), (4ख), (13क) और (13ख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे, यथास्थिति, उक्त अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (3) और उपधारा (13) के अधीन निर्धारण आदेश पूरा करने के लिए निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध समय-सीमा स्पष्ट की जा सके ।

ये संशोधन उक्त अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (4क) और (13क) के लिए 1 अप्रैल, 2009 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे ।

ये संशोधन उक्त अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (4ख) और (13ख) के लिए 1 अक्टूबर, 2009 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 8 आय-कर अधिनियम, 1961 में नई धारा 147क अंतःस्थापित करने के लिए है, जो धारा 148 और धारा 148क के प्रयोजनों के लिए निर्धारण अधिकारी से संबंधित है ।

कराधान और अन्य विधियां (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा उक्त अधिनियम में धारा 144ख और धारा 151क अंतःस्थापित की गई थीं । धारा 144ख 1 अप्रैल, 2021 से पहचानविहीन निर्धारण के लिए कानूनी प्रक्रिया का उपबंध करती है ।

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 147 निर्धारण अधिकारी को आय का निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना करने के लिए सशक्त करती है यदि कर प्रभार्य कोई आय किसी विशेष निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण से छूट गई है । उक्त अधिनियम की धारा 148 यह उपबंध करती है कि निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को सूचना जारी करने के लिए आदेशित है जिससे वह आय की विवरणी प्रस्तुत करे जहां कर से प्रभार्य आय निर्धारण से छूट गई है ।

वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा उक्त अधिनियम में धारा 148क 1 अप्रैल, 2021 से धारा 148 के अधीन बाध्यकारी पूर्व सूचना, जांच प्रक्रिया और सूचना जारी करने से पूर्व सुनवाई का अवसर आरंभ करने के लिए अंतःस्थापित की गई थी । उक्त धारा निर्धारण अधिकारी से विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से कोई जांच करने, यदि अपेक्षित हो, छूट गई आय के बारे में बताने वाली जानकारी के साथ कारण बताओ सूचना निर्धारिती को देने, और सुनवाई का अवसर प्रदान करने की अपेक्षा करती है । निर्धारिती के उत्तर पर विचार के पश्चात् निर्धारण अधिकारी से, धारा 148क की उपधारा (3) के अधीन यह अवधारित करते हुए कि यह धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने के लिए उचित मामला है या नहीं, एक कारण सहित आदेश पारित करने की अपेक्षा होती है । धारा 148क की उपधारा (3) के अधीन उक्त आदेश विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

आय-कर अधिनियम, 1961 की उक्त धारा 147 के पश्चात् धारा 147क अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे शंकाओं को दूर करके यह स्पष्ट किया जा सके कि धारा 148 और धारा 148क के प्रयोजनों के लिए निर्धारण अधिकारी से धारा 144ख की उपधारा (3) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र या कोई निर्धारण इकाई से भिन्न निर्धारण अधिकारी

अभिप्रेत होगा तथा सदैव अभिप्रेत समझा जाएगा, एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से, भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 9 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 153 का संशोधन करने के लिए है, जो निर्धारण, पुनःनिर्धारण और पुनःसंगणना के लिए समय-सीमा से संबंधित है ।

उक्त अधिनियम की धारा 153, निर्धारण, पुनःनिर्धारण और पुनःसंगणना कार्यवाहियों के पूरा होने के लिए समय-सीमाओं का उपबंध करती है और ऐसी कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिए समय सीमा नियत करती है ।

उपधारा (10) अंतःस्थापित करके, उक्त अधिनियम की धारा 153 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि उक्त धारा की उपधारा (1) से उपधारा (4) के उपबंधों के निबंधनानुसार, धारा 144ग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्धारण के प्रस्तावित आदेश का बनाया जाएगा और प्रारूप उक्त उपधाराओं में निर्दिष्ट निर्धारण, पुनःनिर्धारण और पुनःसंगणना की समयसीमा तक किसी भी समय बनाया जाएगा और बनाया गया समझा जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से, भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 10 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 153ख का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 153क के अधीन निर्धारण के पूरा होने की समय-सीमा से संबंधित है ।

उक्त अधिनियम की धारा 153ख, धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ करने और धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा करने आरंभ से संबंधित निर्धारण और पुनःनिर्धारण कार्यवाहियों के पूरा होने के लिए समय-सीमाओं का उपबंध करती है और ऐसी कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिए समय सीमा नियत करती है ।

उपधारा (1क) अंतःस्थापित करके, उक्त अधिनियम की धारा 153ख का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि निर्धारण अधिकारी के पास उपलब्ध समय-सीमा, जो उक्त धारा के उपबंधों के निबंधनानुसार, धारा 144ग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्धारण के प्रस्तावित आदेश का बनाया जाएगा और प्रारूप उक्त उपधाराओं में निर्दिष्ट निर्धारण, पुनःनिर्धारण और पुनःसंगणना की समयसीमा तक किसी भी समय बनाया जाएगा और बनाया गया समझा जाएगा ।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2009 से, भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 11 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 220 का संशोधन करने के लिए है, जो कर कब संदेय होगा और व्यतिक्रमी समझे गए निर्धारिती के उपबंधों से संबंधित है ।

उक्त धारा संदाय और कर मांग की वसूली से संबंधित है, जिसमें यह उल्लेख है कि धारा 156 के अधीन मांग की सूचना में विनिर्दिष्ट कोई रकम सूचना की तामील के 30 दिन के भीतर संदत की जानी चाहिए । यदि निर्धारिती इस अवधि के भीतर संदाय करने में असफल रहता है, तो उन्हें व्यतिक्रमी समझा जाएगा और वह संपत्ति की कुर्की जैसी संभव वसूली कार्यवाहियों के साथ-साथ धारा 220(2) के अधीन ब्याज का दायी बन जाएगा । तथापि,

निर्धारण अधिकारी वास्तविक मामलों में राहत प्रदान करने के लिए, शर्तों के अधीन रहते हुए, किस्तों के संदाय को अनुज्ञात कर सकेगा या संदाय के समय का विस्तार कर सकेगा ।

इस संबंध में, धारा 274 का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 270क के अधीन कम उद्ग्रहीत आय की कम रिपोर्ट करने के लिए शास्ति निर्धारण आदेश के भीतर अधिरोपित की जाए ।

धारा 220 की उपधारा (2) का पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे धारा 270क के अधीन उद्ग्रहीत शास्ति के कारण उद्भूत किसी मांग के संबंध में यथास्थिति, आयकर आयुक्त या आयकर अपील अधिकरण (विवाद समाधान पैनल आदेशों के विरुद्ध अपील के लिए) द्वारा आदेश पारित किए जाने के पश्चात् ही उक्त उपधारा के अधीन ब्याज को प्रभारित करने के लिए उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 12 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 234ज के पश्चात्, धारा 234झ का अंतःस्थापन करने के लिए है, जो आय की पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए फीस से संबंधित हैं ।

जहां कुल आय पांच लाख रुपये से अधिक है, वहां सुसंगत पूर्व वर्ष की समाप्ति से नौ मास के पश्चात् विवरणी पुनरीक्षित करने के लिए पांच हजार रुपये तक की फीस का उद्ग्रहण करने का और जहां कुल आय पांच लाख रुपये से अधिक है वहां सुसंगत पूर्व वर्ष की समाप्ति से नौ मास के पश्चात् विवरणी पुनरीक्षित करने के लिए एक हजार रुपये की फीस उद्ग्रहण करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 मार्च, 2026 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 13 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245डक का संशोधन करने के लिए है, जो विवाद समाधान समिति से संबंधित है ।

उक्त धारा विवाद समाधान समिति के लिए उपबंध करती है, यह विवाद समाधान समिति के गठन के लिए विहित करती है, जिससे लागत प्रभावी और त्वरित रीति में विनिर्दिष्ट लघु और मध्यम करदाताओं के विवादों का समाधान किया जा सके । समिति मुकदमों को कम करने के उद्देश्य से शर्तों के अधीन रहते हुए, शास्तियों को कम करने या अधित्यजित करने और अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान करने के लिए सशक्त है । धारा, स्वैच्छिक अनुपालन तथा त्वरित निपटान समाधान को बढ़ावा देते हुए पात्रता, प्रक्रिया और विवाद समाधान समिति के आदेश की आबद्धकर प्रकृति को अधिकथित करती है।

इस संबंध में, धारा 274 का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि धारा 270क के अधीन कम उद्ग्रहीत आय की कम रिपोर्ट करने के लिए शास्ति निर्धारण आदेश के भीतर अधिरोपित की जाए ।

यह संशोधन 1 मार्च, 2026 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 14 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 270क का संशोधन करने के लिए है, जो आय को कम रिपोर्ट करने और गलत रिपोर्ट करने से संबंधित है ।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (11क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 140ख की उपधारा (3क) के अनुसार अतिरिक्त आय-कर का संदाय किया जाता है, तो वह आय, जिस पर ऐसा अतिरिक्त आय-कर संदाय किया जाता है, शास्ति अधिरोपित करने का आधार नहीं होगी ।

यह संशोधन 1 मार्च, 2026 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 15 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 270कक का संशोधन करने के लिए है, जो शास्ति आदि अधिरोपित करने से उन्मुक्ति से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति के अधिरोपण और कार्यवाहियों के आरंभ किए जाने से उन्मुक्ति अनुदत्त करने का उपबंध करती है, यदि निर्धारिती उसमें विनिर्दिष्ट कतिपय शर्तों को पूरा करता है ।

उक्त धारा के अधीन उन्मुक्ति केवल आय को कम रिपोर्ट करने की दशा में ही अनुदत्त की जाती है और आय को गलत रिपोर्ट करने के परिणामस्वरूप आय को कम रिपोर्ट करने की दशा में नहीं ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उन्मुक्ति के उपबंध को ऐसे मामलों तक बढ़ाया जा सके, जहां ऐसे सकल संदेय कर के एक सौ प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त आय-कर के साथ धारा 143 के अधीन निर्धारण या धारा 147 के अधीन पुनःनिर्धारण के आदेश के अनुसार संदेय कर और ब्याज के संदाय पर आय को गलत रिपोर्ट करने के परिणामस्वरूप आय को कम रिपोर्ट करने के लिए शास्ति अधिरोपित की जाती है ।

यह संशोधन 1 मार्च, 2026 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 16 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 274 का संशोधन करने के लिए है, जो प्रक्रिया से संबंधित है ।

उक्त धारा शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया विहित करती है और आदेशित करती है कि किसी शास्ति का तब तक उद्ग्रहण नहीं किया जाएगा, जब तक निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो । यह निर्धारण अधिकारी से प्रस्तावित शास्ति के लिए कारण बताओं सूचना जारी करने की अपेक्षा करती है और कतिपय मामलों में शास्ति अधिरोपित करने से पहले उच्चतर प्राधिकारियों का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है । यह धारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना सुनिश्चित करती है और मनमानी तथा अविधिमान्य शास्ति कार्यवाहियों को रोकने के लिए उद्देशित है ।

इस संबंध में यह उपबंध करने के लिए कि धारा 270क के अधीन उद्ग्रहीत आय को कम रिपोर्ट करने के लिए शास्ति तारीख 1 अप्रैल, 2027 को या उसके पश्चात् किए गए निर्धारण आदेश के भीतर ही अधिरोपित की जानी है, उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 मार्च, 2026 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 17 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 275क का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 132 की उपधारा (3) के अधीन किए गए आदेश के उल्लंघन से संबंधित है ।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि जो कोई धारा 132 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक या उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी आदेश का उल्लंघन करता है, वह ऐसी अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय होगा, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और वह जुर्माने का भी दायी होगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे दंड की प्रकृति को “ऐसी अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय होगा, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और वह जुर्माने का भी दायी होगा” से परिवर्तित करके “ऐसी अवधि के सादा कारावास से दंडनीय होगा, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा” किया जा सके ।

यह संशोधन 1 मार्च, 2026 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 18 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 275ख का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (iiख) के उपबंधों के अनुपालन में असफल रहने से संबंधित है ।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (iiख) के अधीन अपेक्षा किए गए अनुसार प्राधिकृत अधिकारी को लेखाबहियां या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने हेतु आवश्यक प्रसुविधा उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है, प्राधिकारी अधिकारी को ऐसी प्रसुविधा उपलब्ध कराने में असफल रहता है तो वह ऐसी अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय होगा, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और वह जुर्माने का भी दायी होगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे दंड की प्रकृति को “ऐसी अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय होगा, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और वह जुर्माने का भी दायी होगा” से परिवर्तित करके “ऐसी अवधि के सादा कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा” किया जा सके ।

यह संशोधन 1 मार्च, 2026 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 19 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 276 का संशोधन करने के लिए है, जो कर की वसूली को विफल करने के लिए सम्पत्ति को हटाना, छिपाना या उसका अंतरण या परिदान करने से संबंधित है ।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि जो कोई सम्पत्ति को या उसमें किसी हित को द्वितीय अनुसूची के उपबन्धों के अधीन प्रमाणपत्र के निष्पादन के उस संपत्ति या उसमें हित को लिए जाने से निवारित करने के आशय से कपटपूर्वक हटाएगा, छिपाएगा, किसी व्यक्ति को अन्तरित करेगा या परिदत्त करेगा तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे दंड को “वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा” से परिवर्तित करके “वह ऐसी अवधि के सादा कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा” किया जा सके ।

यह संशोधन 1 मार्च, 2026 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 20 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 276ख, 276खख, 276ग, 276गग, 276गगग और 276घ का संशोधन करने के लिए है, जो क्रमशः, अध्याय 12घ या

अध्याय 17ख के अधीन केंद्रीय सरकार के खाते कर का भुगतान करने में असफल रहने, स्रोत पर संग्रहीत कर का संदाय करने में असफल रहने, जानबूझकर कर का अपवंचन करने का प्रयास करने आदि, आय की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहने, तलाशी की मामलों में आय की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहने और लेखा तथा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में असफल रहने से संबंधित है ।

धारा 276ख के अधीन अपराधों का निम्नानुसार पूर्णतः निरपराधीकरण करने का प्रस्ताव है :

(i) उस मामले में, जहां ऐसे कर की रकम पचास लाख रुपये से अधिक है, दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से ; या

(ii) उस मामले में, जहां ऐसे कर की रकम दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, छह मास तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से ;

(iii) किसी अन्य मामले में जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

धारा 276खख यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति, धारा 206ग के उपबंधों की अपेक्षानुसार, अपने द्वारा संग्रहीत कर का केन्द्रीय सरकार के खाते में संदाय करने में असफल रहेगा तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

इस संबंध में धारा 276खख को निम्नानुसार संशोधित करने का प्रस्ताव है:

(i) उस मामले में, जहां ऐसे कर की रकम पचास लाख रुपये से अधिक है, दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से ;

(ii) उस मामले में, जहां ऐसे कर की रकम दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, छह मास तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से ;

(iii) किसी अन्य मामले में जुर्माने से दंडनीय होगा ।

धारा 276ग(1) यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य या अधिरोपणीय किसी कर, शास्ति या ब्याज का किसी भी रीति से जानबूझकर अपवंचन करने का प्रयास करेगा या अपनी आय की कम रिपोर्ट करता है तो वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उस पर अधिरोपणीय शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना— (i) ऐसे मामले में जहां वह रकम या कम रिपोर्ट की गई आय पर कर जिसके अपवंचन करने का प्रयास किया जाता है, पच्चीस लाख रुपये से अधिक है वहां, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दण्डनीय होगा; (ii) किसी अन्य मामले में कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दण्डनीय होगा । इसके अतिरिक्त, धारा 276ग(2) यह कथन करती है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी कर, शास्ति या ब्याज के संदाय का किसी भी रीति से जानबूझकर अपवंचन करने का प्रयास करेगा तो वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों के अधीन उस पर अधिरोपणीय शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम

की नहीं होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और न्यायालय के विवेकानुसार जुर्माने का भी भागी होगा ।

इस संबंध में धारा 276ग को निम्नानुसार संशोधित करने का प्रस्ताव है:

(क) उस मामले में, जहां अपवंचन की जाने वाली रकम या कर या कम दिखाई गई आय पचास लाख रुपये से अधिक है, दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से ;

(ख) उस मामले में, जहां अपवंचन की जाने वाली रकम या कर या कम दिखाई गई आय दस लाख रुपये से अधिक है किन्तु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, छह मास तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से ;

(ग) किसी अन्य मामले में जुर्माने से दंडनीय होगा ।

इसके अतिरिक्त, धारा 276ग (2) के अधीन अपराधों के दंड को निम्नानुसार परिवर्तित करने का प्रस्ताव है :

(क) उस मामले में, जहां अपवंचन की जाने वाली रकम पचास लाख रुपये से अधिक है, दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से;

(ख) उस मामले में, जहां अपवंचन की जाने वाली रकम दस लाख रुपये से अधिक है किन्तु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, छह मास तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से ;

(ग) किसी अन्य मामले में जुर्माने से दंडनीय होगा ।

धारा 276गग यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति आय की ऐसी विवरणी जिसके देने के लिए वह सीमांत फायदों की विवरणी जो धारा 115बघ की उपधारा (1) या उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन या धारा 115बज के अधीन दी गई सूचना द्वारा अपेक्षित है, या धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन अथवा धारा 142 की उपधारा (1) के खण्ड (i) या धारा 148 या धारा 153क के अधीन दी गई सूचना द्वारा अपेक्षित है, सम्यक् समय के भीतर देने में जानबूझकर असफल रहेगा तो वह—(i) ऐसे मामले में जहां कर की रकम, जिसकी यदि असफलता प्रकट न होती तो अपवंचन हो जाता पच्चीस लाख रुपये से अधिक है, वहां कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा ; (ii) किसी अन्य मामले में, कारावास से जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

अधिनियम की धारा 276गग को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे दंड को निम्नानुसार परिवर्तित किया जा सके:

(क) दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से उस दशा में दंडनीय होगा, जहां कर की रकम, जिसका उस समय अपवंचन हो जाता, यदि उसकी असफलता प्रकट नहीं होती, पचास लाख रुपये से अधिक है ; या

(ख) छह मास तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से उस दशा में दंडनीय होगा, जहां कर की रकम, जिसका उस समय अपवंचन हो जाता, यदि

उसकी असफलता प्रकट नहीं होती, दस लाख रुपये से अधिक है, किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है; या

(ग) किसी अन्य दशा में जुर्माने से दंडनीय होगा ।

धारा 276गगग यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति कुल आय की ऐसी विवरणी, जिसके देने के लिए उससे धारा 158खग की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन दी गई सूचना द्वारा अपेक्षा की जाती है, सम्यक् समय के भीतर देने में जानबूझकर असफल रहेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा ।

अधिनियम की धारा 276गगग को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे दंड को निम्नानुसार परिवर्तित किया जा सके:

(क) दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से उस दशा में दंडनीय होगा, जहां कर की रकम पचास लाख रुपये से अधिक है ;

(ख) छह मास तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से उस दशा में दंडनीय होगा, जहां कर की रकम दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है ;

(ग) किसी अन्य दशा में जुर्माने से दंडनीय होगा ।

धारा 276घ यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन अपने पर तामील की गई किसी सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व लेखे और दस्तावेजों जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट हों, पेश करने में या पेश कराने में जानबूझकर असफल रहेगा या उस धारा की उपधारा (2क) के अधीन उसे दिए गए निदेश का अनुपालन करने में जानबूझकर असफल रहेगा तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

अधिनियम की धारा 276घ को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे दंड को निम्नानुसार परिवर्तित किया जा सके:

(क) उस दशा में जहां कोई व्यक्ति जानबूझकर, धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन उसे तामील की गई किसी सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व, उस सूचना में यथा निर्दिष्ट लेखों और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने या प्रस्तुत करवाने में असफल रहता है । इस अपराध का निरापराधीकरण करने का प्रस्ताव है ।

(ख) यदि कोई व्यक्ति, धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन उसे जारी किसी निदेश का अनुपालन करने में जानबूझकर असफल रहता है तो वह एक वर्ष तक की अवधि के कठिन कारावास और जुर्माने से, दंडनीय होगा । इस दंड को “छह मास तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से, दंडनीय होगा” के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 मार्च, 2026 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 21 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 277 का संशोधन करने के लिए है, जो सत्यापन, आदि में मिथ्या कथन से संबंधित है ।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी सत्यापन में कोई ऐसा कथन करेगा या कोई ऐसा लेखा या विवरणी परिदत्त करेगा, जो मिथ्या है और जिसके बारे में वह या तो जानता है या वह यह विश्वास करता है कि वह मिथ्या है या यह विश्वास नहीं करता है कि वह सत्य है तो वहां—(i) ऐसे मामले में जहां कर की रकम जिसका यदि वह कथन या लेखा सत्य मान लिया जाता तो अपवंचन हो जाता, पच्चीस लाख रुपए से अधिक है वहां, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा; (ii) किसी अन्य मामले में, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दण्डनीय होगा ।

अधिनियम की उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे निम्नानुसार परिवर्तन किया जा सके:

(क) दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से उस दशा में दंडनीय होगा, जहां ऐसे कर की रकम पचास लाख रुपये से अधिक होती, जिसका अपवंचन हो जाता, यदि उसके कथन या लेखा को सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता ;

(ख) छह मास तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से उस दशा में दंडनीय होगा, जहां ऐसे कर की रकम दस लाख रुपये से अधिक होती, किन्तु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं होती, जिसका अपवंचन हो जाता, यदि उसके कथन या लेखा को सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता ;

(ग) किसी अन्य दशा में जुर्माने से दंडनीय होगा ।

यह संशोधन 1 मार्च, 2026 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 22 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 277क का संशोधन करने के लिए है, जो लेखा बहियों या दस्तावेज आदि का मिथ्याकरण से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर और किसी अन्य व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य और अधिरोपणीय किसी कर या ब्याज या शास्ति का अपवंचन करने में समर्थ बनाने के आशय से किसी लेखाबही या इस अधिनियम के अधीन प्रथम व्यक्ति या द्वितीय व्यक्ति के विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों में सुसंगत या उपयोगी अन्य दस्तावेज में ऐसी कोई प्रविष्टि या कथन करता है या कराता है, जो मिथ्या है और जिसके बारे में, प्रथम व्यक्ति जानता है कि वह मिथ्या है या वह यह विश्वास नहीं करता है कि वह सत्य है, वहां प्रथम व्यक्ति ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी, किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

अधिनियम की उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे दंड को “कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा” से परिवर्तित करके “सादा कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दण्डनीय होगा” किया जा सके ।

यह संशोधन 1 मार्च, 2026 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 23 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 278 का संशोधन करने के लिए है, जो मिथ्या विवरणी आदि का दुष्प्रेरण से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति कर से प्रभार्य किसी आय या किसी सीमान्त फायदे के संबंध में ऐसा लेखा या कथन या घोषणा देने और परिदत्त करने के लिए जो मिथ्या है और जिसके बारे में वह या तो जानता है कि वह मिथ्या है या यह विश्वास नहीं करता कि वह सत्य है जो धारा 276ग की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध को करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को किसी रीति से दुष्प्रेरित या उत्प्रेरित करेगा तो वह—(i) उस मामले में जहां कर, शास्ति या ब्याज की वह रकम जिसका, यदि वह घोषणा, लेखा या कथन सत्य मान लिया जाता तो अपवंचन हो जाता या जिसका जानबूझकर अपवंचन करने का प्रयास किया जाता है, पच्चीस लाख रुपये से अधिक है वहां, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा; (ii) किसी अन्य मामले में, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी किन्तु दो वर्ष की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा ।

अधिनियम की उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे निम्नानुसार परिवर्तन किया जा सके:

(i) उस मामले में, जहां कर, शास्ति या ब्याज की रकम, जिसका वंचन किया गया होता, यदि घोषणा, लेखा या कथन सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया होता या जो जानबूझकर वंचन करने के लिए प्रयत्न किया गया है, पचास लाख रुपये से अधिक है, सादा कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से ; या

(ii) उस मामले में, जहां कर, शास्ति या ब्याज की रकम, जिसका वंचन किया गया होता, यदि घोषणा, लेखा या कथन सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया होता या जो जानबूझकर वंचन करने के लिए प्रयत्न किया गया है, दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से कम है, सादा कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से ; या

(iii) किसी अन्य मामले में, जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

यह संशोधन 1 मार्च, 2026 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 24 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 278क का संशोधन करने के लिए है, जो द्वितीय और पश्चातवर्ती अपराधों के लिए दण्ड से संबंधित है ।

उक्त धारा, यह उपबंध करती है कि यदि धारा 276ख या धारा 276खख या धारा 276ग की उपधारा (1) या धारा 276गग, या 276घघ, धारा 276ड या धारा 277 या धारा 278 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति पूर्वोक्त उपबंधों में से किसी के अधीन किसी अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध किया जाता है तो वह द्वितीय और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए कठिन कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे दंड को “कठिन कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से,

दण्डनीय होगा” से परिवर्तित करके “सादा करावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी से दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा” किया जा सके।

यह संशोधन 1 मार्च, 2026 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 25 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 280 का संशोधन करने के लिए है, जो लोक सेवकों द्वारा विशिष्टियों का प्रकटीकरण से संबंधित है ।

उक्त धारा 280(1), अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि यदि कोई लोक सेवक धारा 138 की उपधारा (2) के उपबंधों के उल्लंघन में कोई जानकारी देगा या कोई दस्तावेज पेश करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे दंड को “कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा” से परिवर्तित करके “सादा करावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा” किया जा सके ।

यह संशोधन 1 मार्च, 2026 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 26 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 292खक का अंतःस्थापन करने के लिए है, जो कतिपय आधारों पर निर्धारण का अविधिमान्य न होने से संबंधित है ।

इस धारा को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए उक्त अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में कार्यवाहियां कंप्यूटर सृजित दस्तावेज पहचान संख्या को उत्कथित करने के संबंध में किसी भूल, त्रुटि या लोप के कारण अविधिमान्य नहीं होगी या अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी, यदि निर्धारण आदेश को किसी रीति में ऐसी संख्या से निर्देशित किया गया है ।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2019 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

#### **ख-आय-कर अधिनियम, 2025 के अधीन आय-कर**

विधेयक का खंड 27 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है, जो पदों की परिभाषाओं से संबंधित है ।

उक्त धारा का खंड (32) “सहकारी सोसाइटी” पद की परिभाषा का उपबंध करता है ।

तथापि, वर्तमान में, बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटियां उक्त खंड में उपबंधित परिभाषा के अधीन स्पष्ट रूप से मान्यताप्राप्त नहीं हैं ।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटियों को “सहकारी सोसाइटी” पद की परिभाषा के विस्तार क्षेत्र के अधीन सम्मिलित किया जा सके ।

उक्त धारा का खंड (40), अन्य बातों के साथ-साथ, “लाभांश” पद की परिभाषा को उपबंधित करता है ।

उक्त धारा के उपखंड (च) का लोप करने का भी प्रस्ताव है, जिससे लाभांश की परिधि से शेयरों के क्रय वापसी पर प्राप्त प्रतिफल को अपवर्जित किया जा सके ।

उक्त खंड की पहली दीर्घ पंक्ति का उपखंड (v) यह उपबंध करता है कि लाभांश के अंतर्गत दो समूह अस्तित्वों के बीच कोई अग्रिम या ऋण वहां सम्मिलित नहीं होगा जहां,--

(अ) समूह अस्तित्वों में से एक अस्तित्व "वित्त कंपनी" या "वित्त यूनिट" है; और

(आ) ऐसे समूह का मूल अस्तित्व या प्रधान अस्तित्व देश में या भारत से बाहर राज्यक्षेत्र से भिन्न देश या भारत से बाहर राज्यक्षेत्र में स्टाक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है जो इस निमित्त बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

अन्य बातों के साथ-साथ, उक्त उपखंड को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि संव्यवहार का अन्य समूह अस्तित्व देश में या भारत से बाहर राज्यक्षेत्र में अवस्थित है, ऐसे समूह का मूल अस्तित्व या प्रधान अस्तित्व देश में या भारत से बाहर राज्यक्षेत्र में स्टाक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है और ऐसे प्रयोजनों के लिए, देश या भारत से बाहर राज्यक्षेत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

समूह अस्तित्व, मूल अस्तित्व और प्रधान अस्तित्व पदों की परिभाषा का उपबंध करने का और प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे, और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 और पश्चात्पूर्ति कर वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 28 आय-कर अधिनियम की धारा 7 का संशोधन करने के लिए है, जो किसी कर वर्ष में प्राप्त हुई समझी गई आय और ऐसी आय, जिसे लाभांश समझा गया है, से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) का खंड (क), धारा 2(40)(क) से (च) के अधीन लाभांश की परिभाषा के प्रतिनिर्देश से लाभांश आय की कर देयता के वर्ष के लिए उपबंध करता है । उक्त उपधारा के खंड (क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे धारा 2(40) के खंड (च) के प्रतिनिर्देश का लोप किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा, और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 और पश्चात्पूर्ति कर वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 29 आय-कर अधिनियम की धारा 21 का संशोधन करने के लिए है, जो वार्षिक मूल्य के अवधारण से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (5) कथन करती है कि जहां संपत्ति स्टाक व्यापार के रूप में धारित की जाती है और कर वर्ष के दौरान किसी भी समय संपूर्णतया या भागतः किराये पर नहीं दी जाती है वहां ऐसी संपत्ति या उसके भाग का वार्षिक मूल्य उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से जिसमें संनिर्माण के समापन का प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाता है, के अंत से दो वर्ष के लिए शून्य होगा ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "दो वर्ष के लिए" से "दो वर्ष तक" के लिए संपत्ति या उसके भाग के वार्षिक मूल्य को शून्य के रूप में मानकर परिवर्तित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 30 आय-कर अधिनियम की धारा 22 का संशोधन करने के लिए है, जो गृह संपत्ति से आय से कटौतियों से संबंधित है ।

उक्त धारा गृह संपत्ति से आय की दशा में कटौतियों से संबंधित है और उक्त धारा की उपधारा (2) उपबंध करती है कि स्वयं के कब्जे वाली संपत्ति की दशा में, कटौती की कुल रकम दो लाख रुपए से अधिक नहीं होगी जहां पूंजी अर्जन या संनिर्माण उधार ली गई पूंजी से किया गया है । तथापि, दो लाख रुपए की सीमा के अंतर्गत संपत्ति के अर्जन या संनिर्माण के लिए संदेय पूर्व अवधि ब्याज की कटौती नहीं है ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उधार ली गई पूंजी पर ब्याज की कटौती की सकल रकम पूर्व अवधि संदेय ब्याज सहित होगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 31 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 29 का संशोधन करने के लिए है, जो कर्मचारी कल्याण से संबंधित कटौतियों से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ड) का उपखंड (i) निर्धारिती द्वारा किसी कर्मचारी से प्राप्त अभिदाय की ऐसी रकम, जिस पर धारा 2(49)(ण) के उपबंध लागू होते हैं, यदि निर्धारिती द्वारा इसे देय तारीख तक सुसंगत निधि या निधियों में कर्मचारी के खाते में जमा कर दिया जाता है, की कटौती का उपबंध करता है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ड) का उपखंड (ii) यह उपबंध करता है कि "देय तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है, जिसके द्वारा निर्धारिती को नियोजक के रूप में किसी अधिनियम, नियम, आदेश या उसके अधीन जारी अधिसूचना या किसी स्थायी आदेश, पंचाट, सेवा संविदा या अन्यथा के अधीन सुसंगत निधि में किसी कर्मचारी के खाते में कर्मचारी अभिदाय जमा करना अपेक्षित है ।

उक्त खंड को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए देय तारीख, निर्धारिती के लिए धारा 263(1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की देय तारीख या इससे पूर्व की कोई तारीख होगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 32 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 58 का संशोधन करने के लिए है जो कतिपय निवासियों की दशा में परिकल्पित आधार पर कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों की संगणना के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है ।

धारा 144 के निर्देश का लोप करने के लिए और इसके परिणामस्वरूप उक्त धारा की उपधारा (11) के खंड (क) के उपखंड (i) का लोप करने के लिए इस धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 33 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 66 का संशोधन करने के लिए है, जो अध्याय 4 के भाग ख में कतिपय पदों के निर्वचन से संबंधित है ।

यह प्रस्ताव है कि उसमें वस्तु व्युत्पन्न की परिभाषा का उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 34 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 69, का संशोधन करने के लिए है, जो कंपनी द्वारा इसके अपने शेयरों के क्रय या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों पर पूंजी अभिलाभों से संबंधित है ।

इस धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट पूंजी अभिलाभों के संबंध में, जहां शेयर धारक या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का धारक संप्रवर्तक है, वहां ऐसे पूंजी अभिलाभों पर संदेय कुल आयकर,--

(क) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे पूंजी अभिलाभों पर संदेय आय-कर होगा ;

(ख) नीचे सारणी के स्तंभ ख में विनिर्दिष्ट पूंजी अभिलाभों के संबंध में अतिरिक्त आय-कर, उक्त सारणी के स्तंभ ग या स्तंभ घ में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित किया जाएगा ;

| क्रम सं. | आय  | दर, जहां प्रवर्तक कोई देशी कंपनी है | दर, जहां प्रवर्तक, देशी कंपनी से भिन्न है |
|----------|---|-------------------------------------|---|
| क        | ख   | ग                                   | घ   |
| 1.       | ऐसे प्रतिभूतियों के अंतरण से उदभूत होने वाले धारा 196 में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ ।              | 2%                                  | 10%                                       |
| 2.       | ऐसे प्रतिभूतियों के अंतरण से उदभूत होने वाले धारा 197 और धारा 198 में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ । | 9.5%                                | 17.5%                                     |

उपधारा (3) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे कतिपय पदों की परिभाषाओं का उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 35 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 70 का संशोधन करने के लिए है, जो ऐसे संव्यवहार, जिन्हें अंतरण नहीं माना जाएगा, से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (भ) का प्रतिस्थापन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केवल उन प्रभुत्व संपन्न स्वर्ण बंधपत्रों को ही छूट लागू होगी, जो मूल निर्गमन के समय किसी व्यष्टि द्वारा प्रतिश्रुत किए गए हैं और ऐसे व्यष्टि द्वारा निरंतर रूप से परिपक्व होने पर मोचन तक धारित की जाती है और जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यह छूट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सभी प्रभुत्व संपन्न स्वर्ण बंधपत्रों को एक समान रूप से लागू होंगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 36 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 93 का संशोधन करने के लिए है, जो कटौतियों से संबंधित है।

उक्त धारा, विनिर्दिष्ट सीमा के अधीन रहते हुए लाभांश आय और पारस्परिक निधियों की यूनिटों से आय की संगणना करते समय ब्याज व्यय की कटौती का उपबंध करती है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने तथा उसकी उपधारा (2) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि लाभांश आय और पारस्परिक निधियों की यूनिटों से आय के संबंध में किसी व्यय की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 37 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 99 का संशोधन करने के लिए है, जो किसी व्यष्टि की आय में पति या पत्नी, अवयस्क, बालक आदि की आय को सम्मिलित करने से संबंधित है।

प्रतिनिर्देश के संबंध में उक्त धारा में पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 38 आय-कर अधिनियम की धारा 147 का संशोधन करने के लिए, जो आईएफएससी में यूनिटों को उपलब्ध कटौतियों से संबंधित है।

आईएफएससी में यूनिटों को पच्चीस वर्षों में से बीस वर्ष के लिए तथा अपतटीय बैंककारी यूनिटों के लिए कर अवकाश विस्तारित करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 39 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 149 का संशोधन करने के लिए है, जो सहकारी सोसाइटी की आय के संबंध में कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) का खंड (ख), अन्य बातों के साथ, सहकारी सोसायटी के मामले में, जो एक प्राथमिक समिति है, जो कतिपय अस्तित्वों को अपने सदस्यों द्वारा उत्पादित

या उगाए गए दुग्ध, तिलहन, फल या सब्जियों की आपूर्ति करने में लगी हुई है, कारबार के लाभ और अभिलाभों की संपूर्ण रकम की कटौती के लिए उपबंध करता है ।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि उक्त खंड के विस्तार क्षेत्र में बिनोला और पशु चारा को सम्मिलित किया जाए ।

उक्त धारा की उपधारा (2) का खंड (घ) पुरानी कर व्यवस्था में किसी अन्य सहकारी सोसाइटी से सहकारी सोसाइटी द्वारा प्राप्त लाभांशों के रूप में आय की कटौती को अनुज्ञात करता है ।

उक्त खंड का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अंतर-सहकारी सोसाइटियों के लाभांश को भी अधिनियम की धारा 203 और धारा 204 के अधीन नई कर व्यवस्था के अधीन कटौती के रूप में भी अनुज्ञात किया जाएगा, जिसका उस सीमा तक जिस तक ऐसा लाभांश सहकारी सोसाइटी द्वारा अपने सदस्यों में वितरित किए जाता है ।

कतिपय पदों को परिभाषित करने के लिए एक नई उपधारा (6) अन्तःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 40 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 150 को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो धारा 149 के प्रयोजनों के लिए निर्वचन से संबंधित है ।

प्रस्तावित धारा संघीय सहकारिता के संबंध में कटौती के लिए उपबंध करती है ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि 31 जनवरी, 2026 को या उससे पूर्व किए गए विनिधान के संबंध में किसी कंपनी से संघीय सहकारिता द्वारा लाभांश के रूप में आय को नयी और पुरानी कर व्यवस्था दोनों में अनुज्ञात की जानी है ।

इसकी उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि ऐसी कटौती 1 अप्रैल, 2029 को उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी कर वर्ष को लागू नहीं होगी ।

इसकी उपधारा (3) “संघीय सहकारिता” पद की परिभाषा के लिए उपबंध करती है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 41 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 162 का संशोधन करने के लिए है, जो उद्यम के सहयोगी के अर्थ से संबंधित है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे धारा 144 निर्देश को हटाने के लिए उपधारा (1) के खंड (ग) को प्रतिस्थापित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 42 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 164 का संशोधन करने के लिए है, जो विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के अर्थ से संबंधित है ।

धारा 144 के निर्देश का लोप करने के लिए उक्त धारा के खंड (घ) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 43 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 165 का संशोधन करने के लिए है, जो असन्निकट कीमत के अवधारण से संबंधित है ।

धारा 144 के निर्देश का लोप करने के लिए उक्त धारा की उपधारा (7) का संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 44 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 166 का संशोधन करने के लिए है, जो अंतरण मूल्यांकन अधिकारी के निर्देश से संबंधित है ।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि जहां निर्धारिती ने किसी पूर्ववर्ती वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार किया है और निर्धारण अधिकारी उक्त अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत की संगणना के लिए अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश कर सकेगा ।

उक्त धारा 166 की उपधारा (7) यह उपबंध करती है कि जहां अंतरण मूल्यांकन अधिकारी के प्रतिनिर्देश उपधारा (1) के अधीन किया गया था वहां उपधारा (6) के अधीन आदेश धारा 286 या धारा 296 में विनिर्दिष्ट अवधि से समाप्ति से पूर्व साठ दिन के भीतर किसी भी समय निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना या नए सिरे से निर्धारण का आदेश करने के लिए किया जाना है ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि जहां उपधारा (1) के अधीन कोई प्रतिनिर्देश किया गया है, वहां उपधारा (6) के अधीन कोई आदेश निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना या नए सिरे से निर्धारण का आदेश करने के लिए धारा 286 या धारा 296 में निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि की समाप्ति से पूर्व साठ दिन के भीतर किसी भी समय किया जा सकेगा और तदनुसार उक्त उपधारा में स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके जहां ऐसी अवधि--

(क) किसी वर्ष की तारीख 31 मार्च को समाप्त होती है, वहां उपधारा (6) के अधीन आदेश उस वर्ष की तारीख 31 जनवरी को या उससे पहले किया जाना है ;

(ख) किसी वर्ष की तारीख 31 दिसंबर को समाप्त होती है, वहां उपधारा (6) के अधीन आदेश उस वर्ष की तारीख 31 अक्टूबर को या उससे पहले किया जाना है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 45 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 169 का संशोधन करने के लिए है, जो अग्रिम कीमत निर्धारण करार के प्रभाव से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा अग्रिम कीमत निर्धारण करार को सम्मिलित करने वाले कर वर्ष के लिए, ऐसा करार किए जाने की तारीख के पूर्व, कोई आय की विवरणी प्रस्तुत की गई है, तो ऐसा व्यक्ति धारा 263 में

अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उस मास की, जिसमें करार किया गया था, अंत से तीन मास की अवधि के भीतर ऐसे कर वर्षों की बाबत, करार के अनुसार और उस तक सीमित रहते हुए एक उपांतरित विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

उक्त उपधारा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी व्यक्ति के साथ किए गए अग्रिम कीमत निर्धारण करार के परिणामस्वरूप कोई आय उपांतरित की जाती है, वहां ऐसा व्यक्ति या ऐसा अन्य व्यक्ति, जो सहबद्ध उद्यम है, करार के अनुसार या उस तक सीमित रहते हुए, उस मास के अंत से, जिसमें उक्त करार किया गया था, तीन मास की अवधि के भीतर, ऐसे करार के अंतर्गत आने वाले कर वर्षों की बाबत, यथास्थिति, कोई विवरणी या एक उपांतरित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-27 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 46 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 195 का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 102 से धारा 106 में निर्दिष्ट आय पर कर से संबंधित है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे धारा 102 से धारा 106 में निर्दिष्ट आय पर परिकलित आय-कर की दर को 60% से घटाकर 30% किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 47 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 202 का संशोधन करने के लिए है, जो व्यष्टियों, हिंदू अविभक्त कुटुंब और अन्य के लिए नई कर व्यवस्था से संबंधित है।

धारा 144 के निर्देश का लोप करने के लिए, उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (iii) का लोप करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 48 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 203 का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय निवासी सहकारी सोसाइटियों की आय पर कर से संबंधित है ।

उक्त धारा सहकारी सोसाइटियों द्वारा लाभांश पर कटौती लागू अनुज्ञात न किए जाने के लिए उपबंध करता है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सहकारी सोसाइटियों के लिए उक्त धारा के अधीन उस सीमा तक जिस तक ऐसा लाभांश सहकारी सोसाइटी द्वारा इसके सदस्यों को वितरित किया जाता है, सहकारी सोसाइटियों के लिए उक्त धारा के अधीन उपबंधित नई कर व्यवस्था के अधीन कटौती के रूप में अंतर सहकारी सोसाइटी लाभांश अनुज्ञात किया जाए ।

यह और प्रस्ताव है कि तारीख 31 जनवरी, 2026 से पूर्व किए गए विनिधानों के संबंध में किसी कंपनी से धारा 150 में निर्दिष्ट संघीय सहकारिता द्वारा प्राप्त लाभांश के रूप में आय को नई कर व्यवस्था में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाए । यह कटौती संघीय

सहकारिता द्वारा इसके सदस्यों को वितरित लाभांश की रकम तक सीमित करने का प्रस्ताव किया जाता है, जो तारीख 31 मार्च, 2029 को या उसके पूर्व प्राप्त होती है ।

नई उपधारा (7) अन्तःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे निर्धारिती की दशा में जो सहकारी सोसाइटी है जिसने उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट अपेक्षाओं को उस विस्तार तक उपांतरित किया जाएगा, जिस तक धारा 149(2)(घ)(ii) के अधीन कटौती ऐसे निर्धारिती को उपलब्ध होगी जो धारा 263(1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की देय तारीख से कम से कम एक मास पूर्व इसके सदस्यों को इसके द्वारा वितरित लाभांश की रकम से अधिक नहीं है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 49 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 204 का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय नई विनिर्माणकारी सहकारी सोसाइटियों की आय पर कर से संबंधित है ।

उक्त धारा विद्यमान उपबंधों के अधीन सहकारी सोसाइटियों द्वारा प्राप्त लाभांशों पर कोई कटौती अनुज्ञात न किए जाने के लिए उपबंध करता है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (i) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सहकारी सोसाइटियों के लिए धारा 204 के अधीन उस सीमा तक जिस तक ऐसा लाभांश सहकारी सोसाइटी द्वारा इसके सदस्यों को वितरित किया जाता है, सहकारी सोसाइटियों के लिए उक्त धारा के अधीन उपबंधित नई कर व्यवस्था के अधीन कटौती के रूप में अंतर सहकारी सोसाइटी लाभांश अनुज्ञात किया जाए ।

यह और प्रस्ताव है कि तारीख 31 जनवरी, 2026 से पूर्व किए गए विनिधानों के संबंध में किसी कंपनी से संघीय सहकारिता द्वारा प्राप्त लाभांश के रूप में आय को नई कर व्यवस्था में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाए । यह कटौती संघीय सहकारी सोसाइटी द्वारा इसके सदस्यों को वितरित लाभांश की रकम तक और जो तारीख 31 मार्च, 2029 को या उसके पूर्व प्राप्त होती है, सीमित किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है ।

नई उपधारा (5) अन्तःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे निर्धारिती की दशा में जो सहकारी सोसाइटी है जिसने उपधारा (2) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट अपेक्षाओं को उस विस्तार तक उपांतरित किया जाएगा, जिस तक धारा 149(2)(घ)(ii) के अधीन कटौती ऐसे निर्धारिती को उपलब्ध होगी जो धारा 263(1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की देय तारीख से कम से कम एक मास पहले इसके सदस्यों को इसके द्वारा वितरित लाभांश की रकम से अधिक नहीं है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 50 आय-कर अधिनियम की धारा 206 का संशोधन करने के लिए है, जो न्यूनतम अनुकल्पी कर और अनुकल्पी न्यूनतम कर के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है ।

उक्त धारा अन्य बातों के साथ कंपनियों के लिए लागू न्यूनतम अनुकल्पी कर का उपबंध करते हैं । यह कर निर्धारिती के बही लाभ पर प्रभारित किया जाता है और न कि अधिनियम के उपबंधों के अधीन संगणित कराधेय आय पर । किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित इकाईयों से भिन्न निगमों के लिए न्यूनतम अनुकल्पी कर की दर 15% है । सामान्य कर उपबंधों के अधीन संगणित कंपनी की कुल आय पर संदेय आयकर से न्यूनतम अनुकल्पी कर की रकम अधिक होने की दशा में, निर्धारिती न्यूनतम अनुकल्पी कर का संदाय करता है ।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि पुरानी कर व्यवस्था में न्यूनतम अनुकल्पी कर को अंतिम कर बनाया जाए और वह 15% की दर के बजाय 14% की कर दर पर देय होगा । इसके अतिरिक्त, न्यूनतम अनुकल्पी कर प्रत्यय का समंजन देशी कंपनियों के लिए केवल नई कर व्यवस्था में अनुज्ञात किया जाएगा । तथापि, समंजन की जाने वाली रकम को कर दायित्व के 25% तक निर्बंधित किया जाएगा । विदेशी कंपनियों की दशा में, समंजन को केवल कुल आय पर संदेय कर तथा कर वर्ष के लिए न्यूनतम अनुकल्पी कर के बीच के अंतर की उस सीमा तक अनुज्ञात किए जाने का प्रस्ताव है जब सामान्य कर न्यूनतम अनुकल्पी कर से अधिक है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का खंड (ठ) यह उपबंध करता है कि न्यूनतम अनुकल्पी कर से संबंधित उपबंध किसी ऐसे निर्धारिती के संबंध में लागू नहीं होंगे जो कोई विदेशी कंपनी है, जहां निर्धारिती की कुल आय केवल धारा 61(2) (सारणी: क्रम सं. 1, क्रम सं. 3, क्रम सं. 4 और क्रम सं. 5) में निर्दिष्ट कारबार से लाभ और अभिलाभ से मिलकर बनी है और ऐसी आय संबंधित धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से कर के लिए प्रस्तावित की गई है । तथापि, ऐसे अनिवासियों, जिन्होंने धारा 61 के अधीन प्रकल्पित कराधान का विकल्प भी लिया है, के कतिपय अन्य विनिर्दिष्ट कारबार को इस प्रकार अपवर्जित नहीं किया गया है ।

उपखंड (iii) को प्रतिस्थापित करने के लिए उक्त खंड का संशोधन करने का और प्रस्ताव है, जिससे कि विनिर्दिष्ट कारबार भी न्यूनतम अनुकल्पी कर के लागू होने से अपवर्जित किए जाने का उपबंध किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 51 आय-कर अधिनियम की धारा 217 और 218 का संशोधन करने के लिए है, जो निर्धारिती के निवासी हो जाने के पश्चात् भी कतिपय दशाओं में फायदों के उपलब्ध होने से तथा धारा 218 अनिवासियों के लिए कतिपय उपबंधों के लागू होने से संबंधित है ।

प्रस्तावित धारा 217, धारा 212 से धारा 216 के अधीन फायदों के लागू होने का उपबंध करती है ।

गैर-अवकाश अवधि में अपतटीय बैंककारी यूनिटों तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की यूनिटों की आय के कराधान से संबंधित प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 52 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 227 का संशोधन करने के लिए है, जो टनभार आय की संगणना से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि टनभार से उक्त धारा की उपधारा (9) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र में उपदर्शित, यथास्थिति, किसी पोत या अंतर्देशीय जलयान का टनभार अभिप्रेत होगा।

उक्त धारा की उपधारा (4) के खंड (क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कि "प्रमाणपत्र", शब्द के स्थान पर "विधिमान्य प्रमाणपत्र" शब्द रखे जा सकें।

उक्त धारा की उपधारा (9) के खंड (ख) का उपखंड (iii) यह उपबंध करता है कि भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी अंतर्देशीय जलयान की दशा में, विधिमान्य प्रमाणपत्र को अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है।

उक्त उपखंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि "प्रमाणपत्र", शब्द के स्थान पर "रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र" शब्द रखे जा सकें।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 53 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 228 का संशोधन करने के लिए है, जो सुसंगत पोत परिवहन आय और बही लाभ से अपवर्जन से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (ख) के उपखंड (ii) की मद (अ) यह उपबंध करती है कि यात्री पोतों के फलक पर या तट पर क्रियाकलापों को किसी टनभार कंपनी के मूल क्रियाकलापों में सम्मिलित किया जाएगा।

उक्त मद का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे अंतर्देशीय जलयानों को इसकी परिधि के अधीन लाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 54 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 232 का संशोधन करने के लिए है, जो टनभार कर स्कीम को लागू होने के लिए कतिपय शर्तों से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (12) यह उपबंध करती है कि टनभार कर कंपनी, महानिदेशक, पोत परिवहन द्वारा जारी किये गए और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों के संबंध में न्यूनतम प्रशिक्षण आवश्यकता का अनुपालन करेगी।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे अंतर्देशीय जलयानों की दशा में, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के प्रतिनिर्देश को अंतःस्थापित किया जा सके ।

उक्त धारा की उपधारा (13) यह उपबंध करती है कि टनभार कर कंपनी को महानिदेशक पोत परिवहन द्वारा जारी ऐसे प्रभाव के प्रमाण पत्र की एक प्रति धारा 263 के अधीन आय-कर विवरणी के साथ प्रस्तुत करनी होगी, ऐसी कंपनी ने सुसंगत दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनतम प्रशिक्षण का अनुपालन किया है।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का और प्रस्ताव है, जिससे अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 के अधीन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथानियुक्त अभिहित प्राधिकारी के प्रतिनिर्देश को अंतःस्थापित किया जा सके ।

उक्त धारा की उपधारा (17) यह उपबंध करती है कि शुद्ध टनभार का औसत की संगणना, महानिदेशक पोत परिवहन के परामर्श से, विहित रीति में की जायेगी ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, जिससे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के निर्देश को अंतःस्थापित किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 55 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 235 का संशोधन करने के लिए है, जो अध्याय 13 के भाग छ में कतिपय पदों के लिए निर्वचन से संबंधित है ।

एक नया उपखंड (चक) अंतःस्थापित करने के लिए उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि "भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण" का वही अर्थ होगा, जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 3 में उसका है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 56 आय-कर अधिनियम की धारा 262 का संशोधन करने के लिए है, जो स्थायी लेखा संख्या से संबंधित है ।

उक्त धारा उपबंध करती है कि बोर्ड कारबार या वृत्ति से संबंधित दस्तावेजों की श्रेणियां जिनमें प्रत्येक व्यक्ति द्वारा स्थायी लेखा संख्या उत्कथित की जाएगी, के लिए नियम बना सकेगा ।

उक्त धारा की उपधारा (10) के खंड (ग) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को ऐसे दस्तावेजों में जो कारबार या वृत्ति से संबंधित नहीं है, स्थायी लेखा संख्या उत्कथित करने के लिए नियम बनाने के लिए समर्थ किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 57 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 263 का संशोधन करने के लिए है, जो आय की विवरणी से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का खंड (ग), "देय तारीख" की परिभाषा का इस प्रकार उपबंध करता है कि उससे विभिन्न वर्गों के निर्धारित या व्यक्ति द्वारा उसमें लागू विभिन्न शर्तों के

साथ सुसंगत कर वर्ष के लिए आय की विवरणी फाइल करने के लिए अंतिम तारीख अभिप्रेत है ।

उक्त खंड (ग) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ख में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में “देय तारीख” उक्त सारणी के स्तंभ ग में यथा उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, उसके स्तंभ घ में यथा उल्लिखित सुसंगत कर वर्ष के उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष की देय तारीख होगी :

#### सारणी

| क्र.सं. | व्यक्ति   | शर्तें                                      | देय तारीख    |
|---------|---|---|--------------|
| क       | ख   | ग   | घ            |
| 1.      | फर्म के भागीदारों या ऐसे भागीदार का पति या पत्नी सहित निर्धारिती (यदि ऐसे पति या पत्नी पर धारा 10 लागू होती है) ।   | जहां धारा 172 के उपबंध लागू होते हैं ।      | 30 नवंबर ।   |
| 2.      | (i) कंपनी ;<br>(ii) निर्धारिती (कंपनी से भिन्न) जिसके लेखे इस अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षित किए जाने अपेक्षित हैं ;<br>(iii) किसी फर्म का भागीदार जिसके लेखे इस अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षित किए जाने अपेक्षित हैं ; या ऐसे भागीदार का पति या पत्नी (यदि ऐसे पति या पत्नी पर धारा 10 लागू होती है) । | जहां धारा 172 के उपबंध लागू नहीं होते हैं । | 31 अक्टूबर । |
| 3.      | (i) निर्धारिती, जिसकी आय कारबार या वृत्ति के लाभों या अभिलाभों से है, जिसके लेखे इस अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षित किए जाने अपेक्षित नहीं हैं ;<br>(ii) किसी फर्म का भागीदार जिसके लेखे इस अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षित किए जाने अपेक्षित नहीं हैं या ऐसे भागीदार का पति या                           | जहां धारा 172 के उपबंध लागू नहीं होते हैं । | 31 अगस्त ।   |

पत्नी (यदि ऐसे पति या पत्नी पर  
धारा 10 लागू होती है)

4. कोई अन्य निर्धारित।

31 जुलाई ।'

उक्त धारा की उपधारा (5) आय की पुनरीक्षित विवरणी से संबंधित है। यह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने किसी पुनरीक्षित विवरणी फाइल करने के लिए धारा 263(1) और (4) के अधीन कोई विवरणी पहले ही प्रस्तुत कर दी है, अनुज्ञात करती है, यदि मूल या विलंबित विवरणी में कोई लोप या गलत कथन पाया जाता है। ऐसी पुनरीक्षित विवरणी सुसंगत कर वर्ष के अंत से नौ मास के भीतर या निर्धारण के पूरा होने से पूर्व जो भी पहले हो, प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे पुनरीक्षित विवरणी फाइल करने की विहित समयसीमा को सुसंगत कर वर्ष की समाप्ति से नौ मास की विद्यमान समयसीमा से बढ़ाकर बारह मास किया जा सके।

उक्त धारा उस व्यापक ढांचे से संबंधित है, जो ऐसे व्यक्तियों के वर्ग, जिनसे कोई विवरणी फाइल किया जाना अपेक्षित है, नियत तारीख और ऐसी विभिन्न प्रकार की विवरणियों, जो फाइल की जा सकेंगी, को अधिकथित करता है। इसमें मूल विवरणी, विलंबित विवरणी, पुनरीक्षित विवरणी और अद्यतन विवरणी सम्मिलित हैं।

उक्त धारा की उपधारा (6) आय की अद्यतन विवरणी के लिए उपबंध करती है। यह किसी करदाता को, चाहे उसने पूर्व में कोई विवरणी फाइल की है या नहीं, सुसंगत कर वर्ष के उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति से अड़तालीस मास के भीतर कोई अद्यतन विवरणी फाइल करने को अनुज्ञात करती है। यह उपबंध कराधान हेतु आय प्रस्तुत करने के लिए करदाता के भाग पर स्वैच्छिक अनुपालनता का संवर्धन करता है।

उक्त धारा ऐसे व्यापक कार्य ढांचे का उपबंध करती है जो व्यक्तियों के ऐसे वर्ग, जिनसे कोई विवरणी फाइल किया जाना अपेक्षित है, नियत तारीख और ऐसी विवरणियों के विभिन्न प्रकार, जो प्रस्तुत की जा सकेंगी, को अधिकथित करता है। इसमें मूल विवरणी, विलंबित विवरणी, पुनरीक्षित विवरणी और अद्यतन विवरणी सम्मिलित है।

उक्त उपधारा के खंड (ग) का उपखंड (v) ऐसे मामलों में अद्यतन विवरणी फाइल करने को प्रतिषिद्ध करता है, जहां आय के निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना या पुनरीक्षण के लिए कार्यवाहियां लंबित हैं या उक्त कर वर्ष के लिए पूर्ण हो चुकी हैं।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कोई अद्यतन विवरणी धारा 280 के अधीन किसी सूचना के अनुसरण में सुसंगत कर वर्ष के लिए किसी व्यक्ति द्वारा उक्त सूचना में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर प्रस्तुत की जा सके और ऐसी किसी दशा में निर्धारित को किसी ऐसी अन्य रीति उक्त सूचना के अनुसरण में विवरणी फाइल करने से प्रवारित होगा।

विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में हानि को कम करने हेतु अद्यतन विवरणी फाइल करने का उपबंध करने का भी प्रस्ताव है।

उक्त धारा की उपधारा (6) के खंड (ड) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे “206(1)(ड) से 206(1)(त)” के स्थान पर, “206(3) और 206(4)” का प्रति निर्देश किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 58 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 266 का संशोधन करने के लिए है, जो स्वमूल्यांकन से संबंधित है ।

धारा 206(1)(ड) से (त) के बजाय, धारा 206(3) और (4) का प्रति निर्देश देकर, न्यूनतम अनुकल्पी कर व्यवस्था में प्रस्तावित परिवर्तन लाने के लिए पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे

विधेयक का खंड 59 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 267 का संशोधन करने के लिए है, जो अद्यतन विवरणी पर कर से संबंधित है ।

धारा 206(1)(ड) से (त) के बजाय, धारा 206(3) और (4) का प्रति निर्देश देकर, न्यूनतम अनुकल्पी कर व्यवस्था में प्रस्तावित परिवर्तन लाने के लिए पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

उक्त धारा की उपधारा (5) यह उपबंध करती है कि सुसंगत कर वर्ष के उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति से क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष में अद्यतन विवरणी फाइल करने में संदेय मूल कर और ब्याज के साथ संदेय कर और ब्याज के योग के क्रमशः 25%, 50%, 60% और 70% के बराबर आय-कर का संदाय किया जाएगा ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह विहित किया जा सके कि धारा 280 के अधीन जारी किसी सूचना के अनुसरण में, उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई अद्यतन विवरणी फाइल की जाती है, वहां उपधारा (3) के अधीन संदेय अतिरिक्त आय-कर के रकम में संदेय कर और ब्याज के योग के 10% के बराबर रकम की और वृद्धि की जाएगी ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 60 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 270 का संशोधन करने के लिए है, जो निर्धारण से संबंधित है ।

धारा 144 के निर्देश का लोप करने के लिए उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (vi) का संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 61 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 275 का संशोधन करने के लिए है, जो विवाद समाधान पैनल के निर्देश से संबंधित है ।

उक्त धारा 275, अन्य बातों के साथ, कतिपय पात्र निर्धारिती के संबंध में विवाद समाधान पैनल के किसी निर्देश को बनाने के लिए प्रक्रिया और स्कीम का उपबंध करती है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 286 के निर्धारण, पुनःनिर्धारण और पुनःसंगणना संबंधी कार्यवाहियों को पूर्ण करने के लिए समय-सीमा विहित करती है तथा ऐसी कार्यवाहियों का समापन करने के लिए वाह्य कानूनी सीमाएं स्थापित करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 275 के अधीन यथा उपबंधित विवाद समाधान पैनल क्रियाविधि किसी विशिष्ट प्रक्रिया के लिए उपबंध करती है, जो निम्नानुसार है :-

(i) विवाद समाधान पैनल के समक्ष आक्षेपों का फाइल किया जाना- प्रारूप निर्धारण आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर ;

(ii) विवाद समाधान पैनल द्वारा निदेशों का जारी किया जाना- उस मास की समाप्ति से नौ मास के भीतर, जिसमें प्रारूप निर्धारण आदेश पात्र निर्धारिती को भेजा गया है ; और

(iii) अंतिम निर्धारण आदेश का पारित किया जाना- उक्त अधिनियम की धारा 286 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस मास की समाप्ति से एक मास के भीतर जिसमें विवाद समाधान पैनल के ऐसे निदेश प्राप्त हुए हैं, जो उक्त अधिनियम की धारा 275(14) के अधीन यथा आज्ञापित है।

उन मामलों में जहां निर्धारिती प्रारूप निर्धारण आदेश को स्वीकार कर लेता है और विवाद समाधान पैनल के समक्ष आक्षेप फाइल नहीं करता, तो, यथास्थिति उक्त अधिनियम की धारा 286 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निर्धारण अधिकारी से उक्त अधिनियम की धारा 275(4) के निबंधनानुसार, उस मास के अंत से एक मास के भीतर जिसमें आक्षेप फाइल करना है, अंतिम निर्धारण आदेश पारित करना अपेक्षित होगा।

उक्त अधिनियम की धारा 275 की उपधारा (4) और उपधारा (14) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कि धारा के अधीन निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध अवधि उक्त अधिनियम की धारा 286 के अधीन उसे उपलब्ध अवधि के अतिरिक्त होगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 62 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 279 का संशोधन करने के लिए है, जो निर्धारण से छूट गई आय से संबंधित है।

कराधान और अन्य विधियां (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 में धारा 144ख और धारा 151क अंतःस्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 144ख तारीख 01 अप्रैल, 2021 से पहचानविहीन निर्धारणों के लिए कानूनी प्रक्रिया विहित करती है।

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 147 निर्धारण अधिकारी को आय का निर्धारण, पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना करने के लिए सशक्त करती है, यदि कर प्रभार्य कोई आय किसी विशेष निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण से छूट गई है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 148 यह उपबंध करती है कि निर्धारण अधिकारी, निर्धारिती को सूचना जारी करने के

लिए आदेशित है जिससे वह वहां आय की विवरणी प्रस्तुत करे जहां कर से प्रभाय आय निर्धारण से छूट गई है ।

वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 में धारा 148क, 1 अप्रैल, 2021 से धारा 148 के अधीन बाध्यकारी पूर्व सूचना, जांच प्रक्रिया और सूचना जारी करने से पूर्व सुनवाई का अवसर आरंभ करने के लिए अंतःस्थापित की गई थी । यह उपबंध निर्धारण अधिकारी से विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से कोई जांच करने, यदि अपेक्षित हो, छूट गई आय के बारे में बताने वाली जानकारी के साथ कारण बताओ सूचना निर्धारिती को देने, और सुनवाई का अवसर प्रदान करने की अपेक्षा करता है । निर्धारिती के उत्तर पर विचार के पश्चात् निर्धारण अधिकारी से, धारा 148क की उपधारा (3) के अधीन यह अवधारित करते हुए कि यह धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने के लिए उचित मामला है या नहीं, एक कारण सहित आदेश पारित करने की अपेक्षा होती है । धारा 148क की उपधारा (3) के अधीन उक्त आदेश विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 279 का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कि आय-कर अधिनियम, 1961 की प्रस्तावित धारा 147क के साथ संरेखित करके यह उपबंध किया जा सके कि, यथास्थिति, धारा 280 के अधीन सूचना जारी करने या धारा 281 में निर्दिष्ट कार्यवाहियां धारा 273 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र या किसी निर्धारण इकाई से भिन्न किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 63 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 286 का संशोधन करने के लिए है, जो निर्धारण, पुनः निर्धारण और पुनः संगणना को पूरा करने के लिए समय-सीमा से संबंधित है ।

उक्त अधिनियम की धारा 286, निर्धारण, पुनः निर्धारण और पुनः संगणना को पूरा करने के लिए समय-सीमा का उपबंध करती है और ऐसी कार्यवाहियों के समापन के लिए समय-सीमा निर्धारिती करती है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि धारा 286(1) [सारणी क्रम सं. 1 से 4] और उपधारा (2) के निबंधनानुसार धारा 275 में निर्दिष्ट प्रस्तावित आदेश का प्रारूप उक्त सारणी और उक्त उपधारा में निर्दिष्ट निर्धारण, पुनः निर्धारण और पुनः संगणना की समय-सीमा तक किसी भी समय किया जा सकेगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा, और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 और पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 64 आय-कर अधिनियम की धारा 295 का संशोधन करने के लिए है जो किसी अन्य व्यक्ति की अप्रकटित आय से संबंधित है ।

उक्त धारा अप्रकटित आय पर कर लगाने का वहा उपबंध करती है जहां निर्धारण अधिकारी का समाधान हो जाता है कि कोई अप्रकटित आय किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित है या उससे संबद्ध है, जिसके मामले में तलाशी आरंभ नहीं की जाती है या अध्यपेक्षा नहीं की जाती है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे तृतीय पक्षकार के मामले में ब्लॉक निर्धारण की अवधि को वहां परिसीमित किया जा सके जहां अपराध के फसाने वाली सामग्री का प्रभाव उस कर वर्ष जिसमें तलाशी आरंभ की जाती है या अध्यपेक्षा की जाती है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 65 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 296 का संशोधन करने के लिए है, जो ब्लॉक निर्धारण के पूरा करने के लिए समय सीमा से संबंधित है ।

अधिनियम की धारा 296 ब्लॉक निर्धारण पूरा करने के लिए समय-सीमा का उपबंध करती है । धारा 294 (ब्लॉक निर्धारण के लिए प्रक्रिया) के अधीन निर्धारण या पुनः निर्धारण आदेश उस तिमाही के अंत से 12 मास के भीतर पूर्ण होना चाहिए, जिसमें अंतिम तलाशी प्राधिकरण क्रियान्वित किया गया या अध्यपेक्षा की गई । जबकि, किसी अन्य व्यक्ति के ब्लॉक निर्धारण को पूरा करने के लिए समय-सीमा उस तिमाही के अंत से बारह मास होगी, जिसमें धारा 295 के अनुसरण में धारा 294 के अधीन नोटिस ऐसे अन्य व्यक्ति को जारी किया गया ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे तलाशी आरंभ करने की तारीख को ब्लॉक निर्धारण के लिए परिसीमा की तारीख को विनिश्चित करने के लिए निर्देश बिन्दु के रूप में लिया जा सके और परिणामस्वरूप क्रमशः, बारह मास की अवधि को उस तिमाही की समाप्ति से, जिसमें तलाशी आरंभ की गई है या अध्यपेक्षा की गई है, से अठारह मास करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 66 आय-कर अधिनियम की धारा 332 का संशोधन करने के लिए है, जो रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (च) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे अनुसूची 7 (सारणी: क्र.सं. 17) से “(सारणी: क्र.सं. 19) का निर्देश दिया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 67 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 349 का संशोधन करने के लिए है, जो अध्याय 17 के अधीन आय की विवरणी से संबंधित है ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उसमें धारा 263(4) के निर्देश का उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 68 आय-कर अधिनियम की धारा 351 का संशोधन करने के लिए है, जो विनिर्दिष्ट उल्लंघनों से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे धारा 346 के संदर्भ को हटाया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 69 आय-कर अधिनियम की धारा 352 का संशोधन करने के लिए है, जो वर्धित आय पर कर से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (4) में, सारणी के क्रम संख्यांक 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विनिर्दिष्ट व्यक्ति वर्धित आय पर कर के संदाय का दायी होगा जहां वह—

(क) किसी रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन से भिन्न इकाई से ; या

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन से जिसके वही या समान उद्देश्य है किंतु उक्त विलय ऐसी शर्तों को पूरा नहीं करता जो विहित की जाए ; या

(ग) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन से जिसके वही या समान उद्देश्य नहीं है, विलय हो गया है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 70 आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 354क अंतःस्थापित करने के लिए है, जो कतिपय मामलों में गैर-लाभकारी संगठन के विलय से संबंधित है ।

एक नई धारा 354क अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां जहां कोई रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन के साथ विलय हो जाता है तो धारा 352 के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि,—

(क) यदि अन्य रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन के वही या समान उद्देश्य हैं ; और

(ख) उक्त विलय ऐसी शर्तों को पूरा करता है जो विहित की जाए ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 71 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 379 का संशोधन करने के लिए है, जो विवाद समाधान समिति के उपबंधों से संबंधित है ।

उक्त धारा लागत प्रभावी और त्वरित रीति में विनिर्दिष्ट लघु और मध्यम करदाताओं के विवादों का समाधान करने के लिए विवाद समाधान समिति के गठन के लिए उपबंध करती है । उक्त समिति मुकदमों को कम करने के उद्देश्य से शर्तों के अधीन रहते हुए, शास्तियों को कम करने या अधित्यजित करने और अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान करने के लिए सशक्त है । धारा, स्वैच्छिक अनुपालन तथा त्वरित निपटान समाधान को बढ़ावा देते हुए पात्रता, प्रक्रिया और विवाद समाधान समिति के आदेश की आबद्धकर प्रकृति को अधिकथित करती है।

यह उपबंध करने के लिए कि धारा 439 के अधीन कम उद्ग्रहीत आय की कम रिपोर्ट करने के लिए अधिरोपित शास्तिक विवाद समाधान समिति द्वारा अधित्यजन किया जा सकेगा, धारा 471 में प्रस्तावित संशोधन का निर्देश देकर धारा 389 की उपधारा (2) का पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 72. आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 393 का संशोधन करने के लिए है, जो स्रोत पर काटे जाने वाले कर के संबंध में उपबंधों से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) [सारणी : क्रम संख्यांक 3 और टिप्पण 3], प्रतिनिर्देश के संबंध में उक्त धारा में पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

उक्त धारा की उपधारा (4) [सारणी : क्रम संख्यांक 7], उक्त धारा की उपधारा (1) [सारणी : क्रम संख्यांक 5 (ii) और 5 (iii)] में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न ब्याज के संबंध में स्रोत पर कर कटौती की कोई कटौती न करने के लिए शर्त का उपबंध करती है ।

उपधारा (4) [सारणी क्रम संख्यांक 7 ग] के खंड (क)(i) का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बैंककारी (जिसमें सहकारी भूमि बंधक बैंक भी है) को चलाने में लगी हुई किसी सहकारी सोसाइटी में संदत्त या जमा की गई आय पर ब्याज को स्रोत पर कर कटौती के लागू होने से छूट प्रदान की जाएगी ।

इसके खंड (ख)(ग)(iv) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे कटौती किए गए व्यक्ति जो एक व्यक्ति है, के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर रकम पर ब्याज के संदाय या प्रत्यय पर स्रोत पर कर कटौती के लागू नहीं होने के लिए उपबंध किया जा सके । व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों के लिए, उक्त खंड में 50000 रुपये की पूर्वतर अवसीमा को जारी रखा जाएगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे ।

उपधारा (6) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे निक्षेपागार को उक्त अधिनियम की धारा 393(6) के उपबंधों के अनुसार धारा 393(1) [सारणी: क्रम सं. 4(i),5(i) या 7] में निर्दिष्ट प्रकृति की आय के लिए निर्धारिती से घोषणा स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की जा सके । तथापि, यह विकल्प केवल उन निवेशकों को उपलब्ध होगा, जिन्होंने निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2(ड) में यथा परिभाषित निक्षेपागार में अपनी प्रतिभूतियों को धारित किया है और जहां प्रतिभूतियां भारत में रजिस्ट्रीकृत स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं ।

उक्त धारा की उपधारा (7) में पारिणामिक संशोधन करने का भी प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2027 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 73 आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 394 का संशोधन करने के लिए, जो स्रोत पर कर संग्रहण से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करती है कि प्रत्येक व्यक्ति उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट प्राप्तियों पर, यथास्थिति, संदेय रकम के विकलन के समय या क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी से ऐसी रकम की प्राप्ति के समय, जो भी पहले हो, स्रोत पर कर संग्रहण करेगा ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे निम्नलिखित के विक्रय के प्रयोजन के लिए स्रोत पर संग्रहीत कर की दरों को सुव्यवस्थित किया जा सके,-

- (i) मानव उपभोग के लिए एल्कोहालिक लिकर ;
- (ii) तैदू पत्ता ;
- (iii) स्क्रेप ; और
- (iv) खनिज जो कोयला या लिग्नाइट या लौह अयस्क हैं,

पर 2% की दर से स्रोत पर संग्रहीत किया जाना अपेक्षित होगा ।

उक्त उपधारा का और संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे यह अपेक्षा की जा सके कि शिक्षा या चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत धनप्रेषण स्कीम (एलआरएस) के अधीन किए गए धनप्रेषणों के लिए, कर 5% की विद्यमान दर के स्थान पर, 2% की दर पर स्रोत पर संग्रहीत किया जाएगा ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे कि 20% की उच्चतर दर पर किसी स्रोत पर संग्रहीत कर के लागू होने के लिए विदेशी यात्रा कार्यक्रम पैकेज के विक्रय पर, 10 लाख की अवसीमा को हटाया जा सके और यह अपेक्षा की जा सके कि विदेशी यात्रा कार्यक्रम पैकेज के विक्रय पर रकम को 2% की दर को ध्यान में न रखते हुए स्रोत पर कर संग्रहीत किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 74 आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 395 का संशोधन करने के लिए है जो प्रमाणपत्र से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) शून्य या कम दर से स्रोत पर कर कटौती के प्रमाणपत्र जारी किए जाने का उपबंध करती है ।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (6) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन भी विहित आयकर प्राधिकारी के समक्ष ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो नियमों द्वारा विहित की जाएं, फाइल किया जा सकेगा और ऐसा प्राधिकारी आवेदन की विषय-वस्तु के इलेक्ट्रानिक सत्यापन पर या तो कम कटौती या कोई कटौती न किए जाने का कोई प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा या यथास्थिति, विहित शर्तों को पूर्ण न करने या अपूर्ण आवेदन के कारण ऐसे आवेदन को नामंजूर कर सकेगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 75 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 397 का संशोधन करने के लिए है, जो अनुपालन और रिपोर्टिंग से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का खंड (क) यह अपेक्षा करता है कि कर की कटौती या संग्रहण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति निर्धारण अधिकारी को “कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या” का आबंटन करने हेतु आवेदन करेगा।

उक्त धारा की उपधारा (1) का खंड (ग) यह उपबंध करता है कि खंड (क) के उपबंध उसमें विनिर्दिष्ट कतिपय दशाओं में लागू नहीं होंगे।

उक्त उपधारा के खंड (ग) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि खंड (क) के उपबंध,--

(i) ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जहां उससे धारा 393(1) के अधीन कर की कटौती करना अपेक्षित है [सारणी: क्रम सं. 2(i), 3(i) या 6(ii)] ; या

(ii) धारा 393(4) में निर्दिष्ट व्यक्ति को लागू नहीं होंगे [सारणी: क्रम सं. 12.ग(क)], जहां उससे धारा 393(1) के अधीन आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल पर कर की कटौती करना अपेक्षित है [सारणी: क्रम सं. 8(vi)] ; या

(iii) किसी निवासी व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब को लागू नहीं होंगे, जहां उससे धारा 393 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन किसी अचल संपत्ति के अंतरण के लिए किसी प्रतिफल पर कर की कटौती करना अपेक्षित है [सारणी: क्रम सं. 17] ; या

(iv) केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2026 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 76 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 399 का संशोधन करने के लिए है, जो संसाधन से संबंधित है।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे धारा 427(1) और (2) के प्रतिनिर्देश का उपबंध किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 77 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 400 का संशोधन करने के लिए है जो अध्याय 19 के उपबंधों को शिथिल करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि बोर्ड, इस अध्याय के उपबंधों को प्रभावी करने में उत्पन्न होने वाली किसी कठिनाई को दूर करने के लिए केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर सकेगा और ये मार्गदर्शी सिद्धांत संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे।

यह प्रस्ताव है कि जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांत आय-कर की कटौती या संग्रहण करने के लिए, आय-कर प्राधिकारियों और दायी व्यक्ति पर आबद्धकर होंगे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 78 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 402 का संशोधन करने के लिए है, जो अधिनियम के अध्याय 19ख के प्रयोजनों के लिए निर्वचनों से संबंधित है ।

उक्त धारा का खंड (27) “संदाय के लिए उत्तरदायी व्यक्ति” पद की परिभाषा के लिए उपबंध करता है ।

उक्त खंड का उपखंड (ग) यह उपबंध करता है कि किसी अनिवासी भारतीय को संदेय किसी राशि के ऐसे मामले में, जहां कुछ राशि उसके द्वारा किसी ऐसी विदेशी मुद्रा आस्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल को दर्शाती है, जो कोई अल्पकालिक पूंजी आस्ति नहीं है, किसी अनिवासी भारतीय को ऐसी राशि के प्रेषण के लिए या उसके अनिवासी (बाह्य) खाते में ऐसी राशि का प्रत्यय करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकृत व्यक्ति ।

उक्त उपखंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि उसमें निर्दिष्ट “प्राधिकृत व्यक्ति” पद का वही अर्थ होगा, जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ग) में उसका है ।

उक्त धारा का खंड (47) “कार्य” पद को परिभाषित करता है ।

यह और संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे धारा 393(1)[सारणी क्रम सं. 6(i) या 6(ii)]के अनुसार स्रोत पर कटौती किए जाने वाले कर को लागू किए जाने के लिए “कार्य” पद के विस्तार क्षेत्र के अधीन जनशक्ति की आपूर्ति को सम्मिलित किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 79 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 411 का संशोधन करने के लिए है, जो व्यतिक्रमी समझे गए निर्धारिती के उपबंधों से संबंधित है ।

अधिनियम की धारा 411 संदाय और कर मांग की वसूली से संबंधित है, जिसमें यह उल्लेख है कि धारा 289 के अधीन मांग की सूचना में विनिर्दिष्ट कोई रकम, सूचना की तामील के 30 दिन के भीतर संदत्त की जानी चाहिए । यदि निर्धारिती इस अवधि के भीतर संदाय करने में असफल रहता है, तो उन्हें व्यतिक्रमी समझा जाएगा और वह संपत्ति की कुर्की जैसी संभव वसूली कार्यवाहियों के साथ-साथ धारा 289(3) के अधीन ब्याज का दायी बन जाएगा । तथापि, निर्धारण अधिकारी वास्तविक मामलों में राहत प्रदान करने के लिए, शर्तों के अधीन रहते हुए किस्तों के संदाय को अनुज्ञात कर सकेगा या संदाय के समय का विस्तार कर सकेगा।

उक्त धारा की उपधारा (3) का पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे धारा 439 के अधीन उद्ग्रहीत शास्ति के कारण उद्भूत किसी मांग के संबंध में यथास्थिति, आयकर आयुक्त या आयकर अपील अधिकरण (विवाद समाधान पैनल आदेशों के विरुद्ध अपील के लिए) द्वारा आदेश पारित किए जाने के पश्चात् ही उक्त उपधारा के अधीन ब्याज को प्रभारित करने के लिए उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 80 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 423 का संशोधन करने के लिए है, जो आय की विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज से संबंधित है ।

यह संशोधन धारा 206(1)(ड) से (त) के सिवाय धारा 206(3) और (4) में दिए गए प्रतिनिर्देश द्वारा न्यूनतम अनुकल्पी कर व्यवस्था में प्रस्तावित परिवर्तन लाने के लिए पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चात्पूर्वी कर वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 81 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 424 का संशोधन करने के लिए है, जो अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज से संबंधित है।

यह संशोधन धारा 206(1)(ड) से (त) के सिवाय धारा 206(3) और (4) में दिए गए प्रतिनिर्देश द्वारा न्यूनतम अनुकल्पी कर व्यवस्था में प्रस्तावित परिवर्तन लाने के लिए पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चात्पूर्वी कर वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 82 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 425 का संशोधन करने के लिए है, जो अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज से संबंधित है।

यह संशोधन धारा 206(1)(ड) से (त) के सिवाय धारा 206(3) और (4) में दिए गए प्रतिनिर्देश द्वारा न्यूनतम अनुकल्पी कर व्यवस्था में प्रस्तावित परिवर्तन लाने के लिए पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चात्पूर्वी कर वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 83 आय-कर अधिनियम, 2025 धारा 427 और धारा 428 को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो विवरण प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए फीस और आय की विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम से संबंधित है।

धारा 427 विवरण प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए फीस से संबंधित है।

प्रस्तावित धारा 427 की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां कोई व्यक्ति, धारा 397(3)(ख) के अनुसार उसमें विहित समय के भीतर विवरण परिदत्त करने या उसे परिदत्त करवाने में असफल रहता है, वहां वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके लिए ऐसी असफलता जारी रहती है, 200 रुपये की फीस का संदाय करेगा।

प्रस्तावित धारा 427 की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट फीस की रकम, कटौती योग्य कर या संग्रहणीय कर की रकम से अधिक नहीं होगी और उपधारा (1) के अनुसार, विवरण परिदत्त करने या परिदत्त करवाने से पूर्व संदत्त की जाएगी।

प्रस्तावित धारा 427 की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे धारा 508(1) के अधीन वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य लेखा का विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, वह धारा 508(2) के अधीन विहित समयसीमा के भीतर ऐसा विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है

तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके लिए ऐसी असफलता जारी रहती है, 200 रु. की फीस का भुगतान करेगा और ऐसी फीस 1,00,000 रु. से अधिक नहीं होगी ।

आय-कर अधिनियम, 2025 धारा 428 का संशोधन करने का और प्रस्ताव किया जाता है, जो आय की विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए फीस, संपरीक्षित लेखे और रिपोर्ट से संबंधित है ।

धारा 428 आय की विवरणी, संपरीक्षित लेखे, रिपोर्ट प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए फीस से संबंधित है ।

प्रस्तावित धारा 428 का खंड (क) यह उपबंध करता है कि धारा 263 के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसे समय के भीतर, जो उपधारा(1) के अधीन विहित किया जाए, ऐसा करने में असफल रहता है, तो वह 1,000 रुपये की राशि, यदि ऐसे व्यक्ति की कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है और किसी अन्य मामले में, 5,000 रुपये की राशि का फीस के माध्यम से संदाय करेगा ।

धारा 428 का खंड (ख) यह उपबंध करता है कि धारा 263(5) के अधीन सुसंगत कर वर्ष की समाप्ति से नौ मास के पश्चात्, किंतु बारह मास के पूर्व आय की कोई विवरणी प्रस्तुत करता है तो वह 1,000 रुपये की राशि, यदि ऐसे व्यक्ति की कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है और किसी अन्य मामले में, 5,000 रुपये की राशि का फीस के माध्यम से संदाय करेगा ।

धारा 428 का खंड (ग) यह उपबंध करता है कि किसी कर वर्ष या किन्हीं कर वर्षों के लिए अपने लेखाओं की संपरीक्षा करवाने में और धारा 63 के अधीन यथा अपेक्षित ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह एक मास तक के विलंब के लिए, जिसके लिए ऐसी असफलता जारी रहती है, 75,000 रुपये की राशि और तत्पश्चात् 1,50,000 रुपये की राशि का फीस के माध्यम से संदाय करेगा ।

प्रस्तावित धारा 428 का खंड (घ) यह उपबंध करता है कि धारा 172 द्वारा यथा अपेक्षित किसी लेखापाल से कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह एक मास तक के विलंब के लिए, जिसके लिए ऐसी असफलता जारी रहती है, 50,000 रुपये की राशि और तत्पश्चात् 1,00,000 रुपये की राशि का फीस के माध्यम से संदाय करेगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे, और तदनुसार, कर वर्ष 2026-2027 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 84 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 439 का संशोधन करने के लिए है, जो आय की कम रिपोर्ट करने और गलत रिपोर्ट करने के लिए शास्ति से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (11), उपधारा (10) में निर्दिष्ट आय की गलत रिपोर्ट करने के मामलों के प्रवर्गों का उपबंध करती ।

उक्त उपधारा (11) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उपधारा (10) में निर्दिष्ट आय की परिधि के भीतर धारा 195(1)(ख) में निर्दिष्ट आय को सम्मिलित किया जा सके ।

नई उपधारा (13क) को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां अतिरिक्त आय धारा 267(5)(ii) के अनुसार संदत्त है, वहां आय जिस पर ऐसा अतिरिक्त आयकर संदत्त है, शास्ति अधिरोपित करने का आधार नहीं होगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 85 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 440 का संशोधन करने के लिए है, जो शास्ति आदि अधिरोपित करने से उन्मुक्ति से संबंधित है ।

धारा 440, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति के अधिरोपण या कार्यवाहियों के आरंभ किए जाने से उन्मुक्ति अनुदत्त करने का उपबंध करती है, यदि निर्धारिती उसमें विनिर्दिष्ट कतिपय शर्तों को पूरा करता है ।

उक्त धारा के अधीन उन्मुक्ति केवल आय को कम रिपोर्ट करने की दशा में ही अनुदत्त की जाती है और आय को गलत रिपोर्ट करने की दशा में नहीं ।

उक्त धारा का, उसकी उपधारा (1) से उपधारा (4) का प्रतिस्थापन करके संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कि उन्मुक्ति के उपबंध को निम्नानुसार बढ़ाया जा सके :

(i) आय को गलत रिपोर्ट [धारा 439(11)(क) से धारा 439(11)(च) के अधीन] करने के लिए, शास्ति के बदले में और कोई अपील फाइल नहीं की गई है, कम रिपोर्ट की गई आय पर संदेय कर की रकम के सौ प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त आय-कर के साथ धारा 270(10) या धारा 279 के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण के आदेश के अनुसार संदेय ब्याज और कर का संदाय कर दिया गया है ;

(ii) धारा 195(1)(ख) में निर्दिष्ट आय के लिए [धारा 439(11)(छ) के अधीन] आय को गलत रिपोर्ट करने के लिए, शास्ति के बदले में और कोई अपील फाइल नहीं की गई है, कम रिपोर्ट की गई आय पर संदेय कर की रकम के 120% के बराबर अतिरिक्त आय-कर के साथ धारा 270(10) या धारा 279 के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण के आदेश के अनुसार संदेय ब्याज और कर का संदाय कर दिया गया है ।

यह और प्रस्ताव है कि उपर्युक्त संशोधन कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती कर वर्षों के लिए 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 86 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 443 का लोप करने के लिए है, जो कतिपय आय के संबंध में शास्ति से संबंधित है ।

उक्त अधिनियम की धारा 439 में किए गए पारिणामिक संशोधन के कारण, उक्त धारा का लोप करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-27 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 87 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 446 को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो लेखाओं की संपरीक्षा में असफल रहने से संबंधित है ।

प्रस्तावित धारा क्रिप्टो-आस्ति के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहने या गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए शास्ति का उपबंध करती है ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि विहित आय-कर प्राधिकारी उस समय धारा 509 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति पर 50,000 रुपये की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, यदि ऐसा व्यक्ति विवरण में गलत जानकारी उपलब्ध कराता है और धारा 509(4) के उपबंधों के अनुसार ऐसी गलती को दूर करने में असफल रहता है या धारा 509(5) के अधीन सम्यक् तत्परता संबंधी अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 88 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 447 का लोप करने के लिए है, जो धारा 172 के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त होंगे और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 89 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 454 को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण देने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित है ।

प्रस्तावित धारा सूचना के पश्चात् वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य लेखा का विवरण प्रस्तुत करने में असफलता के लिए शास्ति के लिए उपबंध करती है ।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे धारा 508(1) के अधीन वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य लेखा का विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, धारा 508(7) के अधीन जारी सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसा विवरण या रिपोर्ट योग्य लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो धारा 508(1) के अधीन विहित आयकर प्राधिकारी उस पर, ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट समय के ठीक पश्चात् से आरंभ होने वाले दिन से ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके लिए ऐसी असफलता जारी रहती है, 1,000 रुपये की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा और ऐसी शास्ति 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं होगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 90 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 466 का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 254 के उपबंधों का अनुपालन करने की असफलता के लिए शास्ति से संबंधित है।

धारा 254 के उपबंध ऐसे परिसरों से जानकारी एकत्रित करने के लिए आयकर प्राधिकारियों को शक्ति प्रदान करती है, जहां ऐसे स्वत्वधारी या कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को निर्देश देकर कारबार या वृत्ति चलाई जाती है, जो उस समय और स्थान पर यथा प्राधिकृत कतिपय जानकारी प्रस्तुत करने के लिए किसी भी रीति में ऐसे कारबार या वृत्ति में लगा हो या उसमें सहायता कर रहा हो या उसे चला रहा हो ।

इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 466 के उपबंध ऐसे व्यक्तियों पर शास्ति के लिए उपबंध करते हैं, जो धारा 254 के उपबंधों अर्थात् जानकारी एकत्रित करने की शक्ति का अनुपालन करने में असफल रहता है और प्राधिकृत आयकर प्राधिकारियों को अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत नहीं करता है । उक्त धारा संयुक्त आयुक्त, उपनिदेशक या सहायक निदेशक

या निर्धारण अधिकारी को 1000 रुपये तक की अधिकतम शास्ति अधिरोपित करने के लिए और सशक्त करती है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे शास्ति की अधिकतम रकम को विद्यमान 1000 रुपये से 25000 रुपये तक बढ़ाया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 91 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 470 का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय कतिपय मामलों में अधिरोपित न की जाने वाली शास्ति से संबंधित है ।

धारा 470 को लोप करने का प्रस्ताव किया जाता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त होंगे और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 92 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 471 का संशोधन करने के लिए है, जो शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया के उपबंधों से संबंधित है ।

यह धारा शास्तियों और आज्ञापत्र अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया का उपबंध करती है कि कोई शास्ति तब तक उद्ग्रहीत नहीं की जाएगी, जब तक निर्धारिती को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो । यह अपेक्षित है कि निर्धारण अधिकारी प्रस्तावित शास्ति के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और उस मामले में शास्ति अधिरोपित करने के लिए उच्चतर प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है । यह धारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और मनमानेपन और अविधिमान्य शास्ति प्रक्रिया के प्रतिषिद्ध करने के उद्देश्य के अनुपालन को सुनिश्चित करती है ।

उक्त धारा को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 439 के अधीन उद्ग्रहणीय आय के कम रिपोर्ट के लिए शास्ति तारीख 1 अप्रैल, 2027 को या इसके पश्चात् किए गए निर्धारण आदेश में अधिरोपित की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त होगा ।

विधेयक का खंड 93 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 473 का संशोधन करने के लिए है, जो तलाशी कार्रवाई के दौरान किए गए आदेश का उल्लंघन से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ यह उपबंध करती है कि जो कोई धारा 274(4) में निर्दिष्ट किसी आदेश का उल्लंघन करेगा वह कठिन कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे “वह कठिन कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर, “वह ऐसी अवधि के सादा कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा” शब्द रखे जा सकें ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 94 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 474 का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 247 के अधीन किए गए आदेश का उल्लंघन से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ यह उपबंध करती है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे धारा 247(1)(ii) की अपेक्षानुसार लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत अधिकारी को आवश्यक सुविधा प्रदान करने की अपेक्षा की गई है, प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी सुविधा प्रदान करने में असफल रहता है तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे “ऐसी अवधि के कठिन कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी अवधि के सादा कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा” शब्द रखे जा सकें ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 95 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 475 का संशोधन करने के लिए है, जो कर की वसूली को विफल करने के लिए सम्पत्ति को हटाना, छिपाना या उसका अंतरण या परिदान करना से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करती है कि जो कोई सम्पत्ति को या इसमें किसी हित को धारा 413 के अधीन तैयार प्रमाणपत्र के निष्पादन के उस संपत्ति या इसमें हित को लिए जाने से निवारित करने के आशय से कपटपूर्वक हटाएगा, छिपाएगा, किसी व्यक्ति को अन्तरित करेगा या परिदत्त करेगा तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे “कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर, “सादा कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा” शब्द रखे जा सकें ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 96 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 476 का संशोधन करने के लिए है, जो अध्याय 19ख के अधीन केन्द्रीय सरकार के जमाखाते में कर का संदाय करने में असफलता से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ यह उपबंध करती है कि अधिनियम की धारा 393 के उपबंधों के अधीन, यदि कोई व्यक्ति केंद्रीय सरकार के खाते में स्रोत पर कटौती कर संदेय करने में असफल रहता है या केंद्रीय सरकार के खाते में कर का संदाय करने या कर के संदाय को सुनिश्चित करने में असफल रहता है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि कोई व्यक्ति स्रोत पर कटौती किए गए कर का संदाय करने में या धारा 476(1)(ख) (i) के अधीन आनलाइन गेम से जीती गई रकम की दशा में कर के संदाय को सुनिश्चित करने और धारा 476(1)(ख)(ii) के अधीन आभासी डिजीटल आस्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल के माध्यम से, ऐसी जीत की राशि और ऐसे प्रतिफल को छोड़कर, जो पूर्णतः वस्तु रूप में है, का संदाय करने में असफल रहता है, तो वह,--

(i) उस मामले में, जहां ऐसे कर की रकम पचास लाख रुपये से अधिक है, दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से ; या

(ii) उस मामले में, जहां ऐसे कर की रकम दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, छह मास तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से ;

(iii) किसी अन्य मामले में जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 97 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 477 का संशोधन करने के लिए है, जो स्रोत पर संगृहीत कर का संदाय करने में असफलता से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति, धारा 397(3)क के अधीन अपेक्षानुसार, अपने द्वारा संगृहीत कर का केन्द्रीय सरकार के खाते में संदाय करने में असफल रहेगा तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि कोई व्यक्ति धारा 397(3)क के उपबंधों के अधीन यथाअपेक्षित, केन्द्रीय सरकार को जमा उसके द्वारा संगृहीत किए गए कर का संदाय करने में असफल रहता है, तो वह,--

(क) उस मामले में, जहां ऐसे कर की रकम पचास लाख रुपये से अधिक है, दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से, या दोनों से ; या

(ख) उस मामले में, जहां ऐसे कर की रकम दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, छह मास तक की अवधि के सादा कारावास से, या जुर्माने से या दोनों से ; या

(ग) किसी अन्य मामले में, जुर्माने से दंडनीय होगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 98 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 478 का संशोधन करने के लिए है, जो जानबूझकर, कर आदि के अपवंचन करने का प्रयास से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1), अन्य बातों के साथ यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य या अधिरोपणीय किसी कर, शास्ति या ब्याज का किसी भी रीति से जानबूझकर अपवंचन करने का प्रयास करेगा या अपनी आय की कम रिपोर्ट करता है तो वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उस पर अधिरोपणीय शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे मामलों में जहां उसने नकद या कम रिपोर्ट की गई आय पर कर के लिए अपवंचन करने का प्रयास किया है, पच्चीस लाख रुपये से अधिक है वहां, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से दंडनीय होगा और किसी अन्य मामले में कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (2), अन्य बातों के साथ यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर इस अधिनियम के अधीन किसी कर, शास्ति या ब्याज के संदाय से बचने के लिए किसी भी रीति से प्रयास करता है, तो वह ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडनीय होगा जो तीन मास से कम नहीं होगा किन्तु जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और न्यायालय के स्वविवेक में, जुर्माना के लिए भी दायी होगा।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी रीति में, इस अधिनियम के अधीन किसी कर, शास्ति या प्रभार्य या अधिरोपणीय ब्याज का अपवंचन करने या अपनी आय को कम दिखाने का जानबूझकर प्रयत्न करता है, तो वह,--

(क) उस मामले में, जहां अपवंचन की जाने वाली रकम या कर या कम दिखाई गई आय पचास लाख रुपये से अधिक है, दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से ; या

(ख) उस मामले में, जहां अपवंचन की जाने वाली रकम या कर या कम दिखाई गई आय दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, छह मास तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से ; या

(ग) किसी अन्य मामले में जुर्माने से दंडनीय होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (2) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी रीति में, इस अधिनियम के अधीन किसी कर, शास्ति या ब्याज के संदाय का अपवंचन करने का जानबूझकर प्रयत्न करता है, तो वह,--

(क) उस मामले में, जहां अपवंचन की जाने वाली रकम पचास लाख रुपये से अधिक है, दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से ; या

(ख) उस मामले में, जहां वंचन की जाने वाली रकम दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, छह मास तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से ; या

(ग) किसी अन्य मामले में, जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 99 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 479 का संशोधन करने के लिए है, जो आय की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहने से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति आय की ऐसी विवरणी जिसके देने के लिए धारा 263(1) के अधीन दी गई सूचना द्वारा अपेक्षित है, या धारा 268(1) के अधीन या धारा 280 के अधीन दी गई सूचना द्वारा अपेक्षित है, सम्यक् समय के भीतर देने में जानबूझकर असफल रहेगा तो वह--(क) ऐसे मामले में, जहां कर की रकम, जिसकी यदि असफलता प्रकट न होती तो अपवंचन हो जाता पच्चीस लाख रुपए से अधिक है, वहां कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की

हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और जुर्माने से दंडनीय होगा; (ख) किसी अन्य मामले में, कारावास से जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और जुर्माने से दंडनीय होगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि--

(क) दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से, उस दशा में दंडनीय होगा, जहां कर की रकम, जिसका अपवंचन किया जाता, यदि इस प्रकार की असफलता प्रकट न हुई होती, पचास लाख रुपये से अधिक है ; या

(ख) छह मास तक की अवधि के सादा कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से, उस दशा में दंडनीय होगा, जहां कर की रकम, जिसका अपवंचन किया जाता है, यदि इस प्रकार की असफलता प्रकट न हुई होती, दस लाख रुपये से अधिक है, किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है ; या

(ग) किसी अन्य दशा में, जुर्माने से दंडनीय होगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 100 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 480 और धारा 481 का संशोधन करने के लिए है, जो क्रमशः तलाशी के मामलों में आय की विवरणी देने में असफल रहना और लेखे और दस्तावेज पेश करने में असफल रहना से संबंधित है ।

उक्त धारा 480 को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे तद्धीन अपराधों का निरपराधिकरण करने हेतु यह उपबंध किया जा सके कि यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 294(1)(क) के अधीन दी गई सूचना द्वारा किसी ब्लॉक अवधि के लिए अपनी अप्रकटित आय को वर्णित करते हुए आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, जानबूझकर नियत समय के भीतर आय की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह,-

(क) दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से उस दशा में दंडनीय होगा, जहां कर की रकम पचास लाख रुपये से अधिक है ;

(ख) छह मास तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से उस दशा में दंडनीय होगा, जहां कर की रकम दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है ;

(ग) किसी अन्य दशा में, जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

उक्त धारा 481 को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि,--

(क) यदि कोई व्यक्ति उसे धारा 268(1) के अधीन तामील की गई सूचना में यथानिर्दिष्ट लेखों और दस्तावेजों को, ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व जानबूझकर प्रस्तुत करने या करवाने में असफल रहता है, तो वह दंड का भागी होगा । धारा 481 के अधीन इस उपबंध का पूर्णतः निरपराधिकरण का प्रस्ताव किया जाता है ।

(ख) यदि कोई व्यक्ति उसे धारा 268(5) के अधीन जारी किसी निदेश का अनुपालन करने में जानबूझकर असफल रहता है तो इसके लिए "वह एक वर्ष तक की अवधि के कठिन

कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा” के वर्तमान दंड को परिवर्तित करके “वह छह मास तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा”, किया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 101 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 482 का संशोधन करने के लिए है, जो सत्यापन आदि में मिथ्या कथन से संबंधित है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी सत्यापन में कोई ऐसा कथन करेगा या कोई ऐसा लेखा या विवरणी परिदत्त करेगा, जो मिथ्या है और जिसके बारे में वह या तो जानता है या वह यह विश्वास करता है कि वह मिथ्या है या यह विश्वास नहीं करता है कि वह सत्य है तो वहां (क) ऐसे मामले में जहां कर की रकम जिसका यदि वह कथन या लेखा सत्य मान लिया जाता तो अपवंचन हो जाता, पच्चीस लाख रुपए से अधिक है वहां, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और जुर्माने से दंडनीय होगा ; (ख) किसी अन्य मामले में, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से दंडनीय होगा।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उसके अधीन दंड को निम्नानुसार परिवर्तित किया जा सके :

(क) दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से उस दशा में दंडनीय होगा, जहां ऐसे कर की रकम पचास लाख रुपये से अधिक है, जिसका अपवंचन हो जाता, यदि उसके कथन या लेखा को सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता ;

(ख) छह मास तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से उस दशा में दंडनीय होगा, जहां ऐसे कर की रकम दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, जिसका अपवंचन हो जाता, यदि उसके कथन या लेखा को सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता ;

(ग) किसी अन्य दशा में जुर्माने से दंडनीय होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 102 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 483 का संशोधन करने के लिए है, जो लेखा बहियों या दस्तावेज आदि का मिथ्याकरण से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) अन्य बातों के साथ यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम व्यक्ति कहा गया है) जानबूझकर और किसी अन्य व्यक्ति को (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय व्यक्ति कहा गया है) इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य और अधिरोपणीय किसी कर या ब्याज या शास्ति का जानबूझकर या आशय से अपवंचन करता है, इस अधिनियम के अधीन या द्वितीय व्यक्ति के विरुद्ध किसी कार्यवाही से संबंधित या उपयोगी किसी लेखा बही या अन्य दस्तावेज में कोई प्रविष्टि या कथन करता है या करवाता है जो मिथ्या है और जिसके बारे में प्रथम व्यक्ति या तो जानता है कि वह मिथ्या है या उसे विश्वास है कि वह सत्य नहीं होता है, तो वहां प्रथम व्यक्ति ऐसी अवधि के कठोर कारावास

से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी, से और जुर्माने से दंडनीय होगा ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि “ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी से और जुर्माने से दंडनीय” शब्दों के स्थान पर, “दो वर्ष तक के सादा कारावास से दंडनीय होगा तथा जुर्माने का भी” शब्द रखे जा सकें ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 103 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 484 का संशोधन करने के लिए है, जो मिथ्या विवरणी, आदि का दुष्प्रेरण से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति,—(क) कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में ऐसा लेखा या कथन या घोषणा देने और परिदत्त करने के लिए, जो मिथ्या है और जिसके बारे में, वह या तो जानता है कि वह मिथ्या है या यह विश्वास नहीं करता है कि वह सत्य है; या (ख) धारा 478 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध को करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को किसी रीति से दुष्प्रेरित या उत्प्रेरित करेगा, तो वह,—(i) उस मामले में, जहां कर, शास्ति या ब्याज की वह रकम, जिसका, यदि वह घोषणा, लेखा या कथन सत्य मान लिया जाता तो अपवंचन हो जाता या जिसका जानबूझकर अपवंचन करने का प्रयास किया जाता है, पच्चीस लाख रुपए से अधिक है, वहां, कठिन कारावास से, जिसका अवधि छह मास तक से कम की नहीं होगी, किंतु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने का भी दायी होगा ; और(ii) किसी अन्य मामले में, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी, किंतु दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उसके अधीन दंड को निम्नानुसार रीति में परिवर्तित किया जा सके :

(i) तो वह, उस मामले में, जहां कर, शास्ति या ब्याज की रकम, जिसका वंचन किया गया होता, यदि घोषणा, लेखा या कथन सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया होता या जो जानबूझकर वंचन करने के लिए प्रयत्न किया गया है, पचास लाख रुपये से अधिक है, दो वर्ष तक के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से ; या

(ii) उस मामले में, जहां कर, शास्ति या ब्याज की रकम, जिसका वंचन किया गया होता, यदि घोषणा, लेखा या कथन सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया होता या जो जानबूझकर वंचन करने के लिए प्रयत्न किया गया है, दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से कम है, छह मास तक के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से ; या

(iii) किसी अन्य मामले में, जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 104 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 485 का संशोधन करने के लिए है, जो द्वितीय और पश्चातवर्ती अपराधों के लिए दण्ड से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ यह उपबंध करती है कि यदि धारा 476 या धारा 477 या धारा 478 की उपधारा (1) या धारा 479, या 480, धारा 482 या धारा 484 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति पूर्वोक्त, उपबंधों में से किसी के अधीन किसी अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध किया जाता है तो वह द्वितीय और प्रत्येक पश्चात्पूर्ती अपराध के लिए कठिन कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे “कठिन कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से” शब्दों के स्थान पर “सादा कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी” शब्द रखे जा सकें।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 105 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 494 का संशोधन करने के लिए है, जो लोक सेवकों द्वारा विशिष्टियों का प्रकटीकरण से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि यदि कोई लोक सेवक धारा 258(3) के उपबंधों के उल्लंघन में कोई जानकारी देगा या कोई दस्तावेज पेश करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा” शब्दों के स्थान पर “एक मास तक के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा” शब्द रखे जा सकें।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 106 आय-कर अधिनियम की धारा 522 का संशोधन करने के लिए है, जो कुछ आधारों पर आय की विवरणी आदि के अविधिमान्य न होने से संबंधित है।

उक्त धारा अन्य बातों के साथ यह उपबंध करती है कि इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अनुसरण में आय, निर्धारण, नोटिस, सम्मन या अन्य कार्यवाही में, प्रस्तुत की गई या जारी की गई या ली गई कोई विवरणी अमान्य नहीं होगी या केवल किसी गलती के कारण समझी मानी जाएगी, आय, निर्धारण, नोटिस, सम्मन या अन्य कार्यवाही की ऐसी विवरणी में दोष या चूक, यदि आय, निर्धारण, नोटिस, सम्मन या अन्य कार्यवाही की ऐसी विवरणी उक्त अधिनियम के आशय और उद्देश्यों के अनुरूप या उसके अनुरूप पदार्थ और प्रभाव में है।

उक्त धारा में उपधारा (2) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे इसे आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 292खक के साथ संरेखित करने के लिए यह उपबंध किया जा सके कि आय-कर अधिनियम, 2025 के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में कार्यवाहियां कंप्यूटर सृजित दस्तावेज पहचान संख्या को उत्कथित करने के संबंध में किसी भूल, त्रुटि या लोप के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी या अविधिमान्य नहीं समझी जाएंगी, यदि निर्धारण आदेश किसी रीति में ऐसी संख्या द्वारा निर्देशित किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 107 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 536 की उपधारा (2) के खंड (ज) का संशोधन करने के लिए है, जो निरसन और व्यावृत्तियों से संबंधित है।

उक्त धारा उन परिस्थितियों के लिए उपबंध करती है, जहां निरसित आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कटौती अनुज्ञात की गई है किन्तु उक्त अधिनियम की संबंधित धाराओं में उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन पर, वह आयकर अधिनियम, 2025 के अधिनियमन के पश्चात् आय बन जाती है।

उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (ज) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई कटौती किसी व्यक्ति की कुल आय में 1 अप्रैल, 2026 से पूर्व आरंभ होने वाले किसी कर वर्ष के लिए, कतिपय शर्तों के पूरा किए जाने के कारण या किसी अन्य कारण से अनुज्ञात की गयी है या कोई रकम इसमें सम्मिलित नहीं की गई है, वहां ऐसी रकम (पूर्व में अनुज्ञात की गई कटौती या सम्मिलित नहीं की गई रकम के कारण) निरसित आयकर अधिनियम के अधीन 1 अप्रैल, 2026 को या उसके पश्चात् शुरु होने वाले किसी पश्चात्वर्ती वर्ष की कुल आय में इस प्रकार सम्मिलित की जानी थी मानो यह अधिनियम निरसित न किया गया होता, तो ऐसी राशि—

(i) ऐसे पश्चात्वर्ती कर वर्ष की आय समझी जाएगी ; और

(ii) आय के उसी शीर्ष के अधीन उक्त व्यक्ति की कुल आय में इस प्रकार सम्मिलित की जाएगी मानो यह निरसित आयकर अधिनियम के अधीन सम्मिलित न की गई होती।

उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (ठ) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) प्रतिस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे धारा 206(3) या धारा 206(4) के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 108 आय-कर अधिनियम, 2025 की अनुसूची 3 का संशोधन करने के लिए है, जो पात्र व्यक्तियों की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली आय से संबंधित है।

उक्त अनुसूची की सारणी का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उन मामलों में, जहां कोई व्यष्टि, जो सेवा से संबंधित या उसके द्वारा वर्धित ऐसी दिव्यांगता के कारण ऐसी सेवा से अशक्त हो गया है, वहां दिव्यांगता पेंशन, जिसमें सेवा तत्व और दिव्यांगता तत्व दोनों सम्मिलित है, के संबंध में अभिव्यक्त कानूनी छूट का उपबंध किया जा सके। तथापि, उक्त छूट वहां उपलब्ध नहीं होगी, जहां व्यष्टि अधिवर्षिता पर या अन्यथा सेवानिवृत्त हो गया है।

उक्त अनुसूची की सारणी का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन ऐसे प्रतिकर पर अधिनिर्णीत ब्याज पर किसी व्यष्टि या उसके विधिक उत्तराधिकारी को छूट देने के उपबंध किया जा सके।

उक्त अनुसूची का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कि 1 अप्रैल, 2026 को या उसके पश्चात्, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता

अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) के अधीन (उक्त अधिनियम की धारा 46 के अधीन किए गए अधिनिर्णय या करार से भिन्न) किसी भूमि के अनिवार्य अर्जन के कारण किए गए किसी अधिनिर्णय या करार के संबंध में किसी आय पर छूट का उपबंध किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 109 आय-कर अधिनियम, 2025 की अनुसूची 4 का संशोधन करने के लिए है, जो पात्र अनिवासियों, विदेशी कंपनियों और अन्य ऐसे व्यक्तियों की कुल आय में सम्मिलित न की जाने वाली आय से संबंधित है।

उक्त अधिनियम की अनुसूची 4, ऐसी पात्र आय को विनिर्दिष्ट करती है, जो पात्र अनिवासियों, विदेशी कंपनियों और अन्य ऐसे व्यक्तियों की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

उक्त अनुसूची का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे किसी ऐसी विदेशी कंपनी को, जो किसी संविदा विनिर्माता, जो भारत में निवासी कंपनी है और जो किसी सीमाशुल्कबद्ध क्षेत्र में अवस्थित है, अर्थात् सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65 में निर्दिष्ट कोई भांडागार और जो प्रतिफल के लिए विदेशी कंपनी के निमित्त इलेक्ट्रॉनिक माल का उत्पादन करती है, को पूंजी माल, उपस्कर या उपकरण उपलब्ध कराए जाने के मददे उदभूत होने वाली किसी आय के संबंध में छूट का उपबंध किया जा सके। उक्त छूट कर वर्ष 2030-2031 तक की अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

उक्त अनुसूची का संशोधन करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी किसी व्यक्ति को, जो उस कर वर्ष, जिसके दौरान वह केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी स्कीम के संबंध में भारत में सेवाएं प्रदान करने के लिए पहली बार भारत का दौरा करता है, से ठीक पूर्ववर्ती पांच क्रमिक कर वर्षों की अवधि के लिए अनिवासी है, ऐसी किसी आय पर छूट प्रदान की जा सके, जो भारत से बाहर उदभूत या उत्पन्न होती है और उस प्रथम कर वर्ष जिसके दौरान वह भारत का दौरा करता है, से आरंभ होने वाले पांच क्रमिक वर्षों के लिए भारत में प्रौद्भूत या उत्पन्न हुई न समझी जाती है यदि, ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी स्कीम के संबंध में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, भारत में कोई सेवा प्रदान करता है और ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करता है, जिनका नियमों द्वारा उपबंध किया जाए।

उक्त अनुसूची का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे किसी ऐसी विदेशी कंपनी को, उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, 31 मार्च, 2047 को समाप्त होने वाले कर वर्ष की अवधि के लिए, विनिर्दिष्ट डाटा केंद्र से डाटा केंद्र सेवाएं उपाप्त करने के माध्यम से भारत में उदभूत या प्रोद्भूत या भारत में उदभूत या प्रोद्भूत समझी गई किसी आय पर छूट प्रदान करने के लिए अंतःस्थापित किया जा सके।

टिप्पण 3 अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे क्र.सं. 15 में उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए “डाटा केंद्र”, “डाटा केंद्र सेवाएं” और “विनिर्दिष्ट डाटा केंद्र” पदों को परिभाषित किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 110 आय-कर अधिनियम, 2025 में अनुसूची 6 का संशोधन करने के लिए है, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कतिपय पात्र व्यक्तियों या वहां से आय रखने वाले व्यक्तियों की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली आय से संबंधित है ।

उक्त अनुसूची के क्र.सं. 1 से 4 किसी विनिर्दिष्ट निधि को लागू होते हैं और "विनिर्दिष्ट निधि" उक्त अनुसूची के टिप्पण 1 के खंड (छ) में परिभाषित की गई है ।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि "विनिर्दिष्ट निधि" की परिभाषा को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 का खंड (4घ) के अधीन उपबंधित परिभाषा के साथ संरेखित किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 111 आय-कर अधिनियम, 2025 की अनुसूची 11 का संशोधन करने के लिए है, जो मान्यताप्राप्त भविष्य निधियों से संबंधित है ।

उक्त अनुसूची के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे इसे कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम के साथ निम्नानुसार सुमेलित किया जा सके :-

(i) आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 17(1)(ज) के अधीन और कर्मचारी भविष्य निधि ढांचे में विहित सकल धनीय सीमा के साथ कर्मचारी अभिदायों के व्यौहार को सुमेलित करना ;

(ii) यह दर्शित करना कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अधीन स्कीमों से छूट उस अधिनियम द्वारा शासित है ;

(iii) आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 17(1)(ज) के अधीन विहित धनीय सीमा के साथ उपबंध को सुमेलित करने के लिए वेतन अवसीमाओं, जो अब संगत नहीं है, पर आधारित अभिदाय समता की विवेकाधीन छूट का लोप करना ;

(iv) नियोक्ता के अभिदाय पर सीमाओं को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के साथ और आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 17(1)(ज) के अधीन उपबंधित आत्यंतिक धनीय सीमा के साथ उपबंध को सुमेलित करना ;

(v) कर्मचारी-शेयरधारकों के लिए लागू सीमाओं को हटाना, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि ढांचे में ऐसी कोई सीमा विद्यमान नहीं है और इसे आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 17(1)(ज) के अधीन विहित एक समान सीमा के साथ सुमेलित करना ; और

(vi) अनुसूची को विद्यमान कर्मचारी भविष्य निधि निवेश मानदंडों के साथ सुमेलित करने के लिए उन उपबंधों का संशोधन करना, जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को निर्बंधित करते हैं ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 112 आय-कर अधिनियम, 2025 की अनुसूची 12 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त अनुसूची का भाग क विनिर्दिष्ट खनिजों की खान या अन्य प्राकृतिक भंडार की खोज या निष्कर्षण या उत्पादन या विकास के लिए विलंबित आधार पर कटौती के लिए पात्र खनिजों या खनिज समूहों की सूची के लिए उपबंध करता है ।

उक्त भाग का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे खनिजों की सूची को विस्तारित करके महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और निष्कर्षण को प्रोत्साहित किया जा सके और ऐसी खोज तथा निष्कर्षण के व्यय को उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अनुसार कटौती के लिए भी पात्र बनाया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 113 आय-कर अधिनियम, 2025 की अनुसूची 14 का संशोधन करने के लिए है, जो बीमा कारबार से संबंधित है ।

उक्त अनुसूची के पैरा 1 के खंड (क) का पारिणामिक रूप से संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे “इस नियम” शब्दों के स्थान पर, “इस पैरा” शब्द रखे जा सकें ।

उक्त अनुसूची का आगे और संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे पैरा 4 में एक नया उपपैरा (3) अंतःस्थापित किया जा सके और यह उपबंध किया जा सके कि धारा 35(ख) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) के अधीन कटौती नहीं करने योग्य रकम, जो उपपैरा (1)(क) के अधीन जोड़ी जाती है, यथास्थिति, उक्त उपखंड के उपबंधों के अनुसार किसी कर वर्ष में कटौती पश्चातवर्ती रूप से अनुज्ञात की जाएगी ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 114 से खंड 128 लघु करदाता की विदेशी आस्तियां-प्रकटन स्कीम, 2026 का उपबंध करने के लिए एक नया अध्याय अंतःस्थापित करने के लिए है ।

इस अध्याय में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध हैं—

(क) स्कीम का संक्षिप्त नाम और प्रारंभ तथा वह तारीख, जिससे यह प्रवृत्त होगी ।

(ख) “निर्धारिती” “निर्धारण” “निर्धारण वर्ष” “बोर्ड” “घोषणाकर्ता” “घोषणा” “अंतिम तारीख” “भारत से बाहर अवस्थित अप्रकटित आस्ति” “अप्रकटित विदेशी आय” और “आस्ति का मूल्य” से संबंधित कतिपय पदों की परिभाषाएं ;

(ग) अप्रकटित विदेशी आय या भारत से बाहर अवस्थित अप्रकटित आस्तियों के संबंध में पात्रता और निर्धारिती द्वारा घोषणा फाइल करने से संबंधित उपबंध ;

(घ) घोषणाकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट मौद्रिक अवसीमा और शर्तों के अधीन रहते हुए, संदेय रकम, जिसके अंतर्गत कर, शास्ति या संदेय फीस की दर भी है, से संबंधित उपबंध ;

(ड) घोषणा की रीति, प्ररूप और उसके सत्यापन तथा वे परिस्थितियां, जिनमें ऐसी घोषणा अवैध समझी जाएगी ;

(च) घोषणाओं के इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन, संदेय रकम का अवधारण, संदाय के लिए समय-सीमा, विलंबित संदाय के लिए ब्याज का उद्ग्रहण और संदाय का साक्ष्य देने वाला प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित उपबंध ;

(छ) घोषणाकर्ता की कुल आय में स्कीम के अधीन घोषित आय या आस्तियों को सम्मिलित न किए जाने और लंबित निर्धारण कार्यवाहियों पर ऐसी घोषणा के प्रभाव से संबंधित उपबंध ;

(ज) स्कीम के अधीन संदत्त किसी रकम का अप्रतिदाय और संपूरित निर्धारणों के संबंध में अनुसमर्थन, पुनरीक्षण, समंजन या अनुतोष का दावा करने पर रोक से संबंधित उपबंध ;

(झ) स्कीम की शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए, काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अधीन कर के उद्ग्रहण, शास्ति और अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान करने से संबंधित उपबंध

(ञ) उन मामलों से संबंधित उपबंध, जिनको यह स्कीम लागू नहीं होगी, जिसके अंतर्गत धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 और काला धन (विदेशी आय और आस्ति का अप्रकटन) अधिनियम के अधीन अपराध की कार्यवाहियां या संपूरित निर्धारण को अतर्वलित करने वाले मामले भी हैं ;

(ट) लोक हित में निदेश जारी करने और छूट प्रदान करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की शक्ति, कठिनाइयों को दूर करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति तथा इस स्कीम के उपबंध को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति से संबंधित उपबंध ।

यह अध्याय, उस तारीख से प्रभावी होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचित करे ।

#### अप्रत्यक्ष कर

विधेयक का खंड 129 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है, जिससे मछली पकड़ने और मछली पकड़ने से संबंधित क्रियाकलापों के प्रयोजन के लिए अधिकारिता को राज्यक्षेत्रीय सागरखंडों से परे विस्तारित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 130 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 2 में एक नया खंड अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे 'भारतीय झंडे वाले मत्स्य जलयान' पद को परिभाषित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 131 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (6) का संशोधन करने के लिए है, जिससे धारा 28 की उपधारा (5) के अधीन संदत्त शास्ति, उक्त उपधारा (6) के अधीन अवधारण पर, उसके खंड (i) के अधीन शुल्क के असंदाय के लिए किसी प्रभार के रूप में भी समझी जाएगी ।

विधेयक का खंड 132 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28अ की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस धारा की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय पांच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक कि विधि या तथ्यों में उस आधार पर, जिस पर अग्रिम विनिर्णय उद्घोषित किया गया है, कोई परिवर्तन किया जाता है जो भी पूर्वतर हो, विधिमान्य रहेगा ।

इसके अतिरिक्त, यह उक्त उपधारा के परंतुक को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि उस तारीख को जिसको वित्त अधिनियम, 2026 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, प्रवृत्त किसी अग्रिम विनिर्णय के संबंध में, आवेदक द्वारा कोई अनुरोध किए जाने पर प्राधिकारी विनिर्णय की तारीख से इसकी विधिमान्यता को पांच वर्ष के लिए विस्तारित करेगा ।

विधेयक का खंड 133 सीमाशुल्क अधिनियम में एक नई धारा 56क अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे भारत के राज्यक्षेत्रीय सागरखंडों से परे किसी भारतीय झंडे वाले मत्स्य जलयान द्वारा मछली पकड़ने और मछली पकड़ने से संबंधित क्रियाकलापों के लिए विशेष उपबंध किए जा सके । यह उपबंध करने के लिए है कि भारत के राज्यक्षेत्रीय सागरखंडों से परे किसी भारतीय झंडे वाले मत्स्य जलयान द्वारा पकड़ी गई मछली को, ऐसी रीति में, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, भारत में शुल्क रहित लाया जा सकेगा और जिसे किसी विदेशी पत्तन पर उतारा गया है, उसे मालों का निर्यात माना जा सकेगा । यह किसी भारतीय झंडे वाले मत्स्य जलयान द्वारा पकड़ी गई मछली के संबंध में कोई प्रवेश, जिसके अंतर्गत उसकी घोषणा, अभिरक्षा, जांच, शुल्क निर्धारण, निकासी, अभिवहन या पोतांतरण भी है, करने के लिए प्ररूप और रीति का उपबंध करने हेतु विनियम बनाने के लिए भी है ।

विधेयक का खंड 134, एक भांडागार से माल को दूसरे भांडागार में हटाने से संबंधित सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 67 के प्रतिस्थापन के लिए है ।

प्रस्तावित धारा, भांडागारित माल के एक सीमाशुल्क बंधित भांडागार से दूसरे भांडागार में ले जाने के लिए, उक्त धारा के अधीन उचित अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा की अध्यपेक्षा को हटाने के लिए है ।

विधेयक का खंड 135, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 84 के खंड (ख) का संशोधन करने के लिए है जिससे डाक या कुरियर द्वारा आयातित या निर्यात किए जाने वाले माल की अभिरक्षा के लिए विनियम बनाने के लिए बोर्ड को सशक्त किया जा सके ।

### सीमाशुल्क टैरिफ

विधेयक का खंड 136 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का,--

(क) कतिपय मालों पर संयुक्त शुल्क उद्ग्रहीत करने की दृष्टि से, दूसरी अनुसूची में ;

(ख) कतिपय टैरिफ मदों के संबंध में दरों को, 1 अप्रैल, 2026 से, पुनरीक्षित करने के लिए, तीसरी अनुसूची में ; और

(ग) 1 मई, 2026 से, चौथी अनुसूची में, जिससे नई टैरिफ प्रविष्टियां सृजित की जा सकें, और पांचवीं अनुसूची में, जिससे कतिपय टैरिफ मदों के संबंध में दरों को पुनरीक्षित किया जा सके,

विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन भी करने के लिए है।

#### **केंद्रीय माल और सेवा कर**

विधेयक का खंड 137 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) का, करार के साथ पश्च-विक्रय सहबद्ध करने की अपेक्षा को हटाने और धारा 34 के अधीन जमापत्र के जारी करने को निर्दिष्ट करने हेतु, जहां इनपुट कर प्रत्यय प्राप्तकर्ता द्वारा उलट दिया जाता है, संशोधन करने के लिए है।

विधेयक का खंड 138 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 34 का संशोधन करने के लिए है, जिससे पश्च-विक्रय छूट हेतु जमापत्र नोट जारी करने के लिए, उक्त धारा में धारा 15 की उपधारा (3) के खंड (ख) का निर्देश सम्मिलित किया जा सके।

विधेयक का खंड 139 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (6) का संशोधन करने के लिए है, जिससे उलटी शुल्क संरचना से उद्भूत प्रतिदायों के लिए भी अनंतिम प्रतिदाय के उपबंधों को विस्तारित किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, यह खंड केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (14) का संशोधन करने के लिए है, जिससे कर के संदाय के साथ भारत के बाहर निर्यात किए गए माल की दशा में प्रतिदाय दावे की स्वीकृति हेतु ऊपरी सीमा को हटाए जाने का उपबंध किया जा सके।

विधेयक का खंड 140 केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101क में एक नई उपधारा (1क) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे यह आज्ञापक किया जा सके कि उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का गठन किए जाने के समय तक, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, धारा 101ख के अधीन की गई अपीलों की सुनवाई के लिए किसी विद्यमान प्राधिकरण को सशक्त कर सकेगी। और, ऐसे मामले में उपधारा (2) से उपधारा (13) तक के उपबंध लागू नहीं होंगे। यह, उक्त उपधारा में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का और उपबंध करता है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि "विद्यमान प्राधिकरण" पद में कोई प्राधिकरण सम्मिलित होगा।

#### **एकीकृत माल और सेवा कर**

विधेयक का खंड 141 एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 13 की उपधारा (8) के खंड (ख) का लोप करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि "मध्यवर्ती सेवाएं" की पूर्ति का स्थान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन व्यतिक्रम उपबंध अर्थात् ऐसी सेवाओं के प्राप्तकर्ता के अवस्थान के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

#### **प्रकीर्ण**

विधेयक का खंड 142 वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची का, तारीख 1 मई, 2026 से, छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन करने के लिए है, जिससे चबाने वाले

तम्बाकू, जर्दा सुगंधित तम्बाकू और अन्य (जिसमें गुटका सम्मिलित है) पर राष्ट्रीय विपत्ति आकस्मिक शुल्क दर को पुनरीक्षित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 143 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 98 का संशोधन करने के लिए है, जो प्रतिभूति संव्यवहार कर को प्रभारित किए जाने से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि,--

(i) प्रतिभूतियों में किसी विकल्प के विक्रय पर प्रतिभूति संव्यवहार कर विकल्प के प्रीमियम का 0.1 प्रतिशत है ;

(ii) प्रतिभूतियों में विकल्प के विक्रय पर, जब ऐसे विकल्प का प्रयोग किया जाता है, प्रतिभूति संव्यवहार कर अंतर्निहित कीमत का 0.125 प्रतिशत है ; तथा

(iii) प्रतिभूतियों में वायदे के विक्रय पर प्रतिभूति संव्यवहार कर उस कीमत का 0.02 प्रतिशत है, जिस पर "वायदा" का व्यापार किया जाता है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे विद्यमान प्रतिभूति संव्यवहार कर की दर को निम्नलिखित रूप से बढ़ाने के लिए उपबंध किया जा सके,--

(i) प्रतिभूति में विकल्प के विक्रय की दशा में विकल्प के प्रीमियम का 0.15 प्रतिशत होगा ;

(ii) प्रतिभूतियों में विकल्प के विक्रय पर, जब ऐसे विकल्प का प्रयोग किया जाता है, प्रतिभूति संव्यवहार कर अंतर्निहित कीमत का 0.15 प्रतिशत होगा ; तथा

(iii) प्रतिभूतियों में वायदे के विक्रय पर प्रतिभूति संव्यवहार कर उस कीमत का 0.05 प्रतिशत होगा, जिस पर "वायदा" का व्यापार किया जाता है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे, और तदनुसार, कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 144 काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 49 और धारा 50 का संशोधन करने के लिए है, जो क्रमशः विदेशी आय और आस्ति के संबंध में विवरणी प्रस्तुत करने में असफलता के लिए दंड तथा भारत के बाहर अवस्थित किसी आस्ति (जिसके अंतर्गत किसी इकाई में वित्तीय हित भी है) के बारे में आय की विवरणी में कोई सूचना देने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित है ।

उक्त धाराओं के उपबंध वहां अभियोजन के लिए उपबंध करते हैं, जहां भारत में मामूली तौर पर निवासी न होने से भिन्न कोई निवासी, जो विदेशी आस्तियां या आय धारण करता है, जानबूझकर आय की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है या उनकी आय की विवरणी में ऐसी सूचना प्रकट करने में असफल रहता है ।

उक्त दोनों धाराओं में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धाराओं के उपबंध वहां किसी आस्ति या आस्तियों (अचल संपत्ति से भिन्न) के संबंध में लागू नहीं होंगे, जहां ऐसी आस्ति या आस्तियों का सकल मूल्य बीस लाख

रुपये से अधिक नहीं है, जिससे उसे उक्त अधिनियम की धारा 42 और धारा 43 में विनिर्दिष्ट अवसीमा के साथ समन्वयित किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अक्टूबर, 2024 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे ।

### प्रत्यायोजित विधान के बारे में जापन

विधेयक के उपबंध, अन्य बातों के साथ-साथ केंद्रीय सरकार को अधिसूचनाएं जारी करने तथा बोर्ड को उसमें यथाविनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करते हैं।

विधेयक का खंड 15 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 270कक का संशोधन करने के लिए है, जो शास्ति आदि अधिरोपित करने से उन्मुक्ति से संबंधित है। उक्त धारा की उपधारा (2) बोर्ड को उन्मुक्ति अनुदत्त करने के लिए आवेदन करने के प्ररूप और ऐसे आवेदन के सत्यापन की रीति का नियमों द्वारा उपबंध करने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक का खंड 69 आय-कर अधिनियम की धारा 352 का संशोधन करने के लिए है, जो वर्धित आय पर कर से संबंधित है। उक्त धारा की उपधारा (4) में, सारणी के क्रम संख्यांक 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे बोर्ड को नियमों द्वारा उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए विलय की शर्तों हेतु उपबंध करने के लिए सशक्त किया जा सके।

विधेयक का खंड 70 आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 354क अंतःस्थापित करने के लिए है, जो कतिपय मामलों में गैर-लाभकारी संगठन के विलय से संबंधित है। उक्त धारा बोर्ड को नियमों द्वारा उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए विलय की शर्तों हेतु उपबंध करने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक का खंड 74 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 395 का संशोधन करने के लिए है जो प्रमाणपत्र से संबंधित है। उक्त धारा की उपधारा (6) विहित आयकर प्राधिकारी को आवेदन फाइल करने के लिए शर्तों हेतु नियमों द्वारा बोर्ड को सशक्त करती है।

विधेयक का खंड 85 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 440 का संशोधन करने के लिए है, जो शास्ति आदि अधिरोपित करने से उन्मुक्ति से संबंधित है। उक्त धारा की उपधारा (2) बोर्ड को नियमों द्वारा शास्ति के अधिरोपण या कार्यवाहियों के आरंभ किए जाने से उन्मुक्ति अनुदत्त करने के लिए प्ररूप और रीति का उपबंध करती है।

विधेयक का खंड 109 आय-कर अधिनियम, 2025 की अनुसूची 4 का संशोधन करने के लिए है, जो पात्र अनिवासियों, विदेशी कंपनियों और अन्य ऐसे व्यक्तियों की कुल आय में सम्मिलित न की जाने वाली आय से संबंधित है। उक्त अधिनियम की अनुसूची 4, ऐसी पात्र आय को विनिर्दिष्ट करती है, जो पात्र अनिवासियों, विदेशी कंपनियों और अन्य ऐसे व्यक्तियों की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी। उक्त अनुसूची का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे बोर्ड को भारत में किसी स्कीम के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा किसी सेवा को प्रदान करने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तों के लिए नियमों द्वारा सशक्त बनाने का उपबंध किया जा सके।

विधेयक का खंड 110 आय-कर अधिनियम, 2025 में अनुसूची 6 का संशोधन करने के लिए है, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कतिपय पात्र व्यक्तियों या वहां से आय रखने वाले व्यक्तियों की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली आय से संबंधित है। उक्त

अनुसूची के मद ग की उपमद (11) बोर्ड को यूनिटों की संख्या धारण करने के लिए शर्तों हेतु नियम द्वारा उपबंध करने के लिए सशक्त करती है ।

विधेयक का खंड 114 से खंड 128 लघु करदाता विदेशी आस्ति प्रकटन स्कीम, 2026 से संबंधित एक नए अध्याय का अंतःस्थापन करने के लिए है ।

खंड 128 बोर्ड को उक्त स्कीम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

#### **अप्रत्यक्ष कर**

खंड 133 सीमाशुल्क अधिनियम में एक नई धारा 56क अंतःस्थापित करने के लिए है । उक्त धारा 56क की उपधारा (1) केंद्रीय सरकार को ऐसी रीति और शर्तों का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करती है, जिसमें भारत के राज्यक्षेत्रीय जलमार्गों से परे भारतीय झंडे को धारण करने वाले किसी मत्स्य जलयान द्वारा पकड़ी गई मछली को भारत में निःशुल्क रूप से लाया जा सकेगा और किसी विदेशी पत्तन पर उतारी जाने वाली मछली को माल के निर्यात के रूप में माना जा सकेगा । उक्त धारा की उपधारा (2), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड, को उक्त धारा की उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट पकड़ी गई मछली के संबंध में प्रवेश करने हेतु प्ररूप और रीति के लिए उपबंध करने हेतु विनियम बनाने के लिए सशक्त करती है ।

खंड 135 सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 84 के खंड (ख) का संशोधन करने के लिए है, जिससे डाक या कूरियर के माध्यम से आयात किए गए या निर्यात किए जाने वाले माल की अभिरक्षा हेतु विनियम बनाने के लिए बोर्ड को सशक्त किया जा सके ।

2. वे विषय, जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और ब्यौरों के विषय हैं और उनके लिए स्वयं विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है ।

3. इसलिए विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

# लोक सभा

---

वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए केन्द्रीय सरकार  
की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी  
करने के लिए  
विधेयक

---

(श्रीमती निर्मला सीतारामन)  
वित्त मंत्री